दिनांक २ अप्रैल, १९७५ को प्रातः १०-०० बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत।

उपस्थिति :-

१- श्री टी०एन० चतुर्वेदी, अध्यक्ष,
२- श्री आर०आर० शाह, उपाध्यक्ष,
३- श्री अब्दुल हसन, आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,
४- श्री आर०सी० पन्त, जिलाधिकारी,
५- श्री वी०एन० चन्ना, संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,
६- श्री जे०पी० दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
७- श्री ए०पी० चतुर्वेदी, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग।

अन्य उपस्थिति

१- श्री महेश चन्द, उप प्रशासक (सचिव),
२- श्री एस०पी० गुप्ता, मुख्य अभियन्ता,
३- श्री टी०एन० साह, उप नगर अधिकारी (विकास),
४- श्री रशीद अहमद, नगर अभियन्ता (भवन),
५- श्री रहमत खां, अधिशासी अभियन्ता (आवास),
६- श्री वि०डु० काज़मी, मुख्य लेखाधिकारी।

मद सं० १ :- दिनांक ४ फरवरी, १९७५ की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

मद सं० (२) २- विकास प्राधिकरण के समक्ष उपाध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष १९७५-७६ का आय-व्ययक एप्रस्तुत किया गया। अपनी प्रारम्भिक सूचि में उन्होंने बताया कि बजट में रू० १६-७ लाख का अधिक्य दिखाया गया है। प्रारम्भिक अवशेष रू० ६६-५१ लाख है। बजट के आय पक्ष की High Rights का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पूंजी लेखों में शासकीय ऋणों से रू० १,३७,२५,०००/-, बैंकों तथा हुडको के ऋणों से क्रमशः रू० ५० लाख एवं ६६-८९ लाख तथा शासकीय अनुदान से रू० २२-५० लाख अर्थात् कुल रू० ३,०६,६४,०००/- की आय होगी। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के स्वयं के मुख्य स्रोतों में भूमि के विक्रय से रू० १-०२ करोड़, भवनों की सीधी बिक्री से लगभग रू० २५ लाख, हायर परचेजेज़ की बिक्री से लगभग रू० ३३ लाख तथा विकास भवनों के किराये से रू० १४ लाख अर्थात् रू० १-७४ करोड़ की आय की सम्भावना है।

व्यय पक्ष में मलिन बस्ती निपातन योजना व आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए ११५० भवन बनाने के लिए ८५-२५ लाख धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लिए क्रमशः १९-५ लाख व ३६-२ लाख का प्राविधान किया गया है। हुडको योजना के प्रथम व द्वितीय चरणों के अन्तर्गत भवन बनाने के लिए रू० ३०-३९ लाख उपलब्ध किया जायेगा। यद्यपि बजट सामान्य प्रशासन, नगर नियोजन, विकास एवं आवास खण्डों में विभाजित है तथापि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने सुझाव दिया कि उसमें एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम (Integrated urban development scheme) का बजट प्राविधान और जोड़ा जाय। परिशिष्ट 'ख' में विकास की

क्रमशः

योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों के विक्रय से ४७-०८ लाख रूपये की आय १८ लाख रूपये की अन्य आय सहित अनुमानित है। इसी के साथ पूर्व में भूखण्डों के विक्रय से हुई आय के विपरीत विकास योजनाओं की पूर्ति पर ६४-६५ लाख रूपया व्यय होने का प्राविधान है। प्राधिकरण को यह सूचना दी गयी कि आम तौर पर भूमि के विकास का मूल्य २।- रूपये प्रति वर्गफुट आता है। अध्यक्ष ने चिड़ियाघर एवं नवारतन पार्क योजना तथा मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ने नैपियर रोड भाग-२ तथा लालीगंज योजनाओं की भूमि के मूल्य एवं उसके विकास की लागत की असमानता की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उपाध्यक्ष के अनुसार यह विशेष स्थानीय परिस्थितियों के कारण है।

३- प्राधिकरण ने यह विचार व्यक्त किया कि अधिष्ठान पर जो व्यय का प्राविधान किया गया है उससे यह ज्ञात नहीं होता कि वह कितने पदों के बारे में है। अत: जितने भी पद भरे जाने हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुन: वास्तविक प्राविधान किये जायें। उपाध्यक्ष ने यह सूचना दी कि पदों के औचित्य की जांच के लिए शासन ने जो चयन-समिति गठित की है। उसकी अनुशंसानुसार शीघ्र ही वास्तविक पदों के सृजन की कार्यवाही करते हुए व्यय का प्राविधान किया जायेगा।

४- विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(क) बजट में " एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम (Integrated urban development scheme) का एक और खण्ड जोड़ा जाय तथा उसमें १-०० लाख रूपये का सांकेतिक प्राविधान किया जाय।

(ख) विकास की समस्त योजनाओं के प्रारम्भ से अब तक के आय-व्यय और भौतिक प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत किये जायें।

(ग) विकास एवं आवास के खण्डों को मिला दिया जाय परन्तु उपाध्यक्ष को यह अधिकार रहे कि वे आवश्यकतानुसार उक्त खण्डों से सम्बन्धित विभिन्न खातों को संचालित करें और इस सम्बन्ध में जो भी आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था हो करें।

(घ) अधिष्ठान की मद में उल्लिखित पद-नामों का विवरण न दिया जाय और अधिष्ठान की मद में मांगी गई समस्त धनराशि स्वीकृत की जाय। तदुपरान्त जब सम्पूर्ण पदों के बारे में अन्तिम निश्चय हो जाय तो इस पद पर बजट प्राविधान का पुनरीक्षण कर लिया जाय। वर्ष ~~१९७६-७७~~ १९७५-७६ का बजट अन्तिम रूप से पारित किया गया।

(कार्यवाही -- मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य लेखाधिकारी)

क्रमश:

मद सं०(३): ५- प्राधिकरण के अभियन्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान पर विचार किया गया । मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, ने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों को जो वित्तीय अधिकार प्रतिनिहित किये जायें उसमें वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिए गए बिल्ट इन सेफ गार्ड्स(बचावों) को ध्यान में रखा जाय । उन्होंने विशेष रूप से दो *Built in safeguards* का उल्लेख किया --

(क) जब टेण्डर व्ययानुमान से अधिक हों तो उसकी स्वीकृति *Next Higher Authority* द्वारा की जाय ।

(ख) व्ययानुमान एवं टेण्डर स्वीकृत करते समय योजना की कुल लागत एवं पूर्ति की अवधि को ध्यान में रखा जाये ताकि अलग-अलग व्ययानुमान स्वीकृत कराने में ओवरआल(कार्यपूर्ति) व्ययाधिक्य न हो जाये।

इस विषय में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

(क) मुख्य अभियन्ता को १० लाख रुपये तक एवं अधिशासी अभियन्ता को १ लाख रुपये तक व्ययानुमान एवं टेण्डर स्वीकृत करने का अधिकार उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम , १९७३ की धारा ५९(२) के अन्तर्गत प्रतिनिहित किया जाता है।

(ख) १० लाख रुपये के ऊपर के व्ययानुमान एवं टेण्डर प्राधिकरण की उप-समिति टैक्निकल-- जिसके सदस्य मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक और मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग होंगे जो उपाध्यक्ष के द्वारा समय समय पर कन्वीन की जायेगी-- के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत होंगे ।

(ग) अभियन्त्रण विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के व्ययानुमान एवं टेण्डर स्वीकृत करने के समस्त अधिकार उक्त विधिक प्राविधान के अन्तर्गत सचिव विकास प्राधिकरण को प्रतिनिहित किये जायें ।

(कार्यवाही -- सचिव)

मद सं०(४): ६- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा ५९(२) के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता एवं उप नगर अधिकारी(विकास) को विकास प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध करने का अधिकार प्रतिनिहित करने पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि सचिव के पक्ष में किया गया पूर्व प्रतिनिधान निरस्त करते हुए विधिवत टेण्डर संबन्धी अनुबन्ध करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता एवं भूमि तथा भवन के हस्तान्तरण सम्बन्धी विधिवत अनुबन्ध करने का अधिकार उप नगर अधिकारी(विकास) को प्रतिनिहित किया जाये ।

(कार्यवाही— मुख्य अभियन्ता तथा मु
उप नगर अधिकारी(विकास)

क्रमशः

मद सं० (५): ७- मधुबन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के लिये लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर स्थित ग्राम पुरनियां में निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन सम्बन्धी दिनांक ४-२-७५ की बैठक में स्थगित प्रस्ताव पर सम्बन्धित भू-चित्रों के साथ विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट दिनांक १२-८-७४ की संस्तुतियों के अधीन निर्धारित भू-उपयोग से छूट देने के लिये शासन को स्वीकारात्मक अनुशंसा भेजी जाय।

(कार्यवाही-- मुख्य अभियन्ता)

मद सं०(६): ८- निदेशालय, भूतत्त्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के कार्यालय स्थित कैंट रोड, लखनऊ से सम्बन्धित भवन मान-चित्र पर भू-उपयोग से छूट दिये जाने विषयक प्राधिकरण की दिनांक ४-२-७५ की बैठक के निर्णयानुसार फिर गठित उप-समिति की रिपोर्ट दिनांक ६-३-१९७५ पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि उप-समिति की अनुशंसा के अनुसार भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति अस्वीकार की जाये।

(कार्यवाही-- मुख्य अभियन्ता)

मद सं०(७) ९- ~~क्लीन्टन~~ रोड स्थित जय भारत सिनेमा के बारे में श्री रतन कुमार व अन्य को भू-उपयोग से छूट दिये जाने व मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रार्थना-पत्र पर ली गयी कानूनी राय के साथ विचार किया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि(संशोधन) अधिनियम, १९७५ द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा ५६(६) एफ) के अन्तर्गत नियन्त्रक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन लम्बित सभी अपीलें शासन को स्थानान्तरित होंगी, अतः निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण इस सम्बन्ध में सक्षम नहीं है।

मद सं०(८): १०- नबीउल्लाह रोड स्थित नजूल भूमि की विकास एवं आवासीय योजना पर विचार किया गया। प्रश्नगत योजना निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की गयी :-

१- मास्टर प्लान में वर्तमान निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन विकास प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाय।

२- संक्रामक रोगों के चिकित्सालय के पास वाले चौराहे के विकास को मूल भी योजना में सम्मिलित कर लिया जावे तथा आर्टीफिशियल लिम्ब सेन्टर के सामने की खाली भूमि तथा प्रश्नगत योजना के पूर्व में स्थित नजूल भूमि जिसमें सूरज कुण्ड भी आता है, को भी योजना में शामिल करके विकसित कर दिया जावे ताकि यह क्षेत्र इसी योजना

क्रमशः

के open spaces का कार्य करें।

(३) संशोधित ले-आउट प्लान को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से परिष्कृत करा लिया जाय।

(४) नजूल भूमि के स्थानान्तरण की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जावे।

(कार्यवाही मुख्य अभियन्ता)

मद सं०(९): ११- शाहमीना रोड पर स्थित नजूल भूखण्डों के विकास एवं तत्सम्बन्धी आवासीय योजना पर विचार किया गया। प्रश्नगत योजना निम्नलिखित शर्तों के आधीन स्वीकार की गयी :--

१- मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन विकास प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ शासन की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाय।

२- ले-आउट -प्लान में मेडिकल कालेज के भविष्य में विस्तार का भी कुछ प्राविधान कर लिया जावे।

३- ले-आउट प्लान को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से परिष्कृत करा लिया जाय।

४- नजूल भूमि स्थानान्तरण की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जावे।

(कार्यवाही मुख्य अभियन्ता)

मद सं०(१०): १२-- नैपियर रोड-भाग-३ स्थित विकास एवं आवासीय योजना पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि योजना स्वीकृत की जाती है और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से ले-आउट प्लान परिष्कृत करा लिया जाय।

(कार्यवाही--मुख्य अभियन्ता)

मद सं०(११): १३- हाता कामता प्रसाद में मलिन बस्ती निवारण योजना पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि योजना स्वीकृत की जाती है और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से ले-आउट प्लान परिष्कृत करा लिया जाय।

(कार्यवाही-- मुख्य अभियन्ता)

मद सं०१२: १४-- सीतापुर रोड पर शाही पुल से मिले हुए बांध के निकट सब्जी मण्डी योजना पर विचार किया गया। मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ने कहा कि सब्जी-मण्डी को स्थापित किये जाने का मामला नगर महापालिका के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए न कि विकास प्राधिकरण के। उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि वास्तव में प्रश्नगत क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता होगी ताकि एक आधुनिक सब्जी-मण्डी, जिसमें सभी आवश्यक सहूलियतें उपलब्ध हों, बनायी जा सके। निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत योजना स्वीकृत की गई है और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से ले-आउट प्लान परिष्कृत करा लिया जाय।

(कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता)

मद सं०(१३): १५- ग्राम रहीमाबाद में चौधरी स्ववागा स्थित भूखण्ड पर भवन बनाने हेतु निर्धारित सेट बैक में छूट विषयक श्री के० के० सिंहल की प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने आपत्ति की कि इस मद को प्राधिकरण के समक्ष उपाध्यक्ष द्वारा खारिज किये जाने की दशा में ही लाना चाहिए थे। अध्यक्ष ने सूचित किया कि प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र उन्होंने प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये थे। निश्चय किया गया कि मामला उपाध्यक्ष के पास निर्णय हेतु भेजा जाये।

(कार्यवाही-- नगर अभियन्ता(भवन))

मद सं०१४: १६- पंजीकृत आर्कीटेक्ट तथा फर्मों के सम्बन्ध में उपविधि संख्या २८ पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के सुझाव दिनांक ४-३-७५ पर उपाध्यक्ष की टिप्पणी सहित विचार किया गया। निर्णय हुआ कि मामला अगली प्राधिकरण की बैठक में एक स्वतः स्पष्ट टिप्पणी सहित प्रस्तुत की जावे।

(कार्यवाही-- मुख्य अभियन्ता तथा सचिव)

मद सं० १५):_१७- अध्यक्ष की अनुमति से वर्तमान विकास प्राधिकरण कार्यालय, जो नजूल की सम्पत्ति है, में विशेष मरम्मत हेतु विकास प्राधिकरण की मद से २-४० लाख रुपये व्यय करने पर विचार किया गया। निश्चय हुआ कि विशेष मरम्मत हेतु उक्त व्यय इस शर्त के साथ कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में अधिक से अधिक मितव्ययता बरती जायेगी।

१८- मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के निम्नलिखित सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया :-

(क) विकास प्राधिकरण के सुचारु रूप से कार्य सम्पादन के लिए यह आवश्यक है कि निर्माण कार्यों के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार कर ली जाय जिसमें विभिन्न योजनाओं का विवरण, व्ययानुमान तथा सभी प्रकार की निर्माण सामग्री की आवश्यकता का पूर्ण ब्योरा हो।

(ख) इस समय जो भी योजनायें चल रही हैं उनके ओवरआल वित्तीय आउट ले पर विशेष ध्यान दिया जाय। इनके बारे में पूर्ण स्थिति के आंकड़े तैयार करके इन पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

निश्चय हुआ कि तीन मास के अन्दर यह योजनायें प्रस्तुत की जायं तथा व्ययानुमान एवं टेण्डर की स्वीकृति के समय ओवरआल आउट ले का ध्यान रक्खा जाय।

विचार विमर्श के दौरान यह बात आई कि विकास प्राधिकरण

क्रमशः

के पास बहुत सी संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा कन्सेशनल रेट पर भूमि तथा भवन दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं। निश्चय हुआ कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में कुछ नीति निर्धारित की है। उसकी रूप रेखा वहां से मंगा कर इस मामले को विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

१६- तदुपरान्त प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

ह0- आर0 आर0 शाह,
६-४-७५
(राजीव रत्न शाह)
प्रशासक, नगर महापालिका
तथा
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

ह0- पृथवी नाथ चतुर्वेदी १०-४-७५
(पृथवी नाथ चतुर्वेदी)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल
तथा
अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

—

176

दिनांक २ अप्रैल, १९७५ को प्रातः १०-०० बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय, ६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, में विकास प्राधिकरण की होने वाली बैठक की कार्यसूची ।

१- दिनांक ४-२-१९७५ की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

२- विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष १९७५-७६ के प्रस्तावित बजट पर विचार एवं निर्णय ।

३- सचिव, मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं प्रशासनिक अधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान संबंधी उपाध्यक्ष की टिप्पणी पर विचार ।

४- विकास प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध करने का अधिकार धारा ५१(२) के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता एवं संयुक्त सचिव (उप नगर अधिकारी -विकास-) को प्रतिनिहित करने पर विचार ।

५- मधुबन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिये लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर स्थित ग्राम पुरनिया में भू-उपयोग के परिवर्तन हेतु कन्ट्रोलिंग अथारिटी द्वारा दिनांक १२-८-७४ के निर्णय पर संबंधित भू-चित्रों सहित विचार । (पूर्व स्थगित)

६- निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के कार्यालय स्थित वे रोड से संबंधित भवन मानचित्र पर लैण्ड यूज से छूट दिये जाने विषयक उप-समिति की रिपोर्ट दिनांक ६-३-७५ पर विचार ।

विचार ।

७- क्वीन्टन रोड स्थित जैं भारत सिनेमा के बारे में श्री रतन कुमार व अन्य को लैण्ड यूज से छूट दिये जाने व मानचित्र की स्वीकृति बिषयक प्रार्थना-पत्र पर ली गई कानूनी राय के साथ विचार ।

८- नबीउल्लाह रोड स्थित नजूल भूमि की प्रस्तावित विकास एवं आवासीय योजना पर विचार ।

----क्रमशः।२

175

९- शाहमीना रोड पर स्थित नजूल भूखण्डों के विकास एवं तत्संबंधी आवासीय योजना पर विचार।

१०- नैपियर रोड भाग-३ स्थित विकास एवं आवासीय योजना पर विचार ।

११- हाता कामता प्रसाद में प्रस्तावित मलिन बस्ती निपातन योजना पर विचार ।

१२- सीतापुर रोड़ पर शाहीपुल से मिले हुये बांध के निकट सब्जी मंडी योजना पर विचार।

१३- ग्राम रहीमाबाद में चौधरी स्क्वायर स्थित भूखण्ड पर भवन बनाने हेतु निर्धारित सेट बैंक में छूट विषयक श्री के०के० सिंहल के प्रार्थना-पत्र पर विचार ।

१४- विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक में स्वीकृत मानचित्र तैयार करने हेतु पंजीकृत लाइसेन्स तथा फीस के संबंध में उपविधि संख्या २८ पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या २३३७।२२ टीपी। लखनऊ विकास प्राधिकरण।टीपीसी।७४ दिनांक ४-३-७५ पर उपाध्यक्ष की टिप्पणी सहित आवश्यक सूचना ।

१५- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

दुर्गेश। -

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ

मूल बजट वर्ष १९७५-७६

अ नु क्र म णि का

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
१-	मूल बजट सारांश में	१
२-	[illegible] विभागानुसार वर्गीकरण	२
३-	सामान्य विभाग (आय पक्ष)	३
४-	नगर नियोजन (आय पक्ष)	५
५-	विकास विभाग (आय पक्ष)	७
६-	आवास विभाग (आय पक्ष)	१०
७-	सामान्य विभाग (व्यय पक्ष)	१३
८-	नगर नियोजन(व्यय पक्ष)	१६
९-	विकास विभाग (व्यय पक्ष)	१७
१०-	आवास विभाग (व्यय पक्ष)	२१
११-	आय पक्ष का विवरण	२४
१२-	व्यय पक्ष का विवरण	२७
१३-	परिशिष्ट	३०

———— o ————

172

लखनऊ विकास प्राधिकरण

मूल बजट १९७५-७६ (सारांश में)

विवरण		आय	व्यय
(अ) राजस्व लेखा		२,०४,७३,५००	१,९७,५७,०००
(ब) पूंजी लेखा		३,०६,६४,०००	३,९३,८४,४००
(स) उचन्त लेखा		५३,८७,०००	५३,८७,०००
	योग	५,६५,२४,५००	६,४५,२८,४००
प्रारम्भिक शेष		९९,५१,४००	
	महायोग	६,६१,७५,९००	
कुल संवितरण		६,४५,२८,४००	
अन्तिम शेष		१९,४७,५००	

लखनऊ विकास प्राधिकरण

मूल बजट १९७५-७६

विभागानुसार बजट आंकड़े

आय पक्ष	राजस्व लेखा	पूंजीलेखा	उचन्त लेखा
(क) सामान्य प्रशासन	२३,९४,१००	--	५,५०,०००
(ख) नगर नियोजन	१,३७,०००	--	--
(ग) विकास अभियन्त्रण	६५,१३,०००	२,२४,००,०००	३४,९०,०००
(घ) आवास अभियन्त्रण	१,१४,२९,४००	८२,६४,०००	१३,४७,०००
	२,०४,७३,५००	३,०६,६४,०००	५३,८७,०००

कुल आय ५,६५,२४,५००

प्रारम्भिक शेष ९६,५१,४००

महायोग ६,६१,७५,९००

व्यय पक्ष	राजस्व लेखा	पूंजीलेखा	उचन्त लेखा
(क) सामान्य प्रशासन	३०,८३,०००	--	५,५०,०००
(ख) नगर नियोजन	२,१०,०००	--	--
(ग) विकास अभियन्त्रण	६४,९५,०००	२,५०,००,०००	३४,९०,०००
(घ) आवास अभियन्त्रण	९९,६९,०००	१,४३,८४,४००	१३,४७,०००
	१,९७,५७,०००	३,९३,८४,४००	५३,८७,०००

कुल व्यय ६,४५,२८,४००

अन्तिम शेष १६,४७,५००

महायोग ६,६१,७५,९००

लखनऊ विकासप्राधीकरण, लखनऊ

आय पक्ष

(मूल आय-व्ययक वर्ष १९७५-७६)

मद सं०	आय के शीर्षक	गत वर्ष के वास्तविक आकड़े	पुनरीक्षित बेजट के चालू वर्ष के आकड़े। (१९७४-७५)	प्रथम ६मास के वास्तविक आकड़े	वर्ष ७५४७६ के आय व्ययक के अनुमान
१	२	३	४	५	६
प्रारम्भिक शेष		४४,४५,६५४	६४,७७,६३८	६४,७७,६३८	६६,५१,४००
१-सामान्यविभाग					
(व)राजस्व लेखा					
१- भूमि की बिक्री से आय और पट्टों का अधिशुल्क					
१- भूमि की बिक्री से आय					
२- पट्टों का अभिशुल्क					२,२५,०००
३- नजूल भूमि की बिक्रीसे आय					१,६५,०००
२- भवनों की बिक्री से आय					
१- भवनों का पूर्ण विक्रय			६,००,०००	-	-
२- भवनों का हायरपरचेज पर विक्रय		७३,८१२	१,५०,०००	७५,०४०	१,२२,०००
३- अन्य सम्पत्तियां					
३- अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के विलेखों पर कर					
४- परवृद्धि कर से प्राप्तियां जिनमें व्याज भी सम्मिलित है					
५- किराया तथा अन्य प्राप्तियां					
१- भवनों का स्थायी किराया		६,६६,४८४	१४,००,०००	५,२७,१३४	१४,००,०००
२- भवनों का अस्थायी किराया					
३- अन्यप्राप्तियां					
(क) डेवेलपमेन्ट लेवी					१,००,०००
(ख) अन्य			1,40,000	98217	१,४०,०००
४- नजूल से प्राप्तियां					५०,०००
६- पूंजी के प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये ऋण, अनुदान तथा अंशदान					
१- सरकार से					
१- विभिन्न अधिनियमों के अधीन वसूल किये गये दंडों के बदले में					
२- सामान्य प्रयोजन के लिये					

169

६- सरकार से:-

१- विभिन्न अधिनियमों के अधीन वसूल किये गये अर्थ दंडों के बदले में। (४)

२- सामान्य प्रयोजन के लिये

३- महगाई भत्ता अनुदान २०,७५६ ५०,००० ३०,९८८ १,००,०००

४- पंजीकरण शुल्क से सम्बन्धित अनुदान

५- अन्य अनुदान

२- अन्य साधनों से

७- प्राधिकरण की सम्पत्ति तथा अन्य सूत्रों से प्राप्तियां

१- मशीन, उपकरण, संयत्र तथा अन्य चल सम्पत्ति की बिक्री से आय

२- वृक्षों, घास आदि की बिक्री से आय रू० १५,०००।- १००

३- बाजारों से आय ४५,०००।- ६२,०००

४- अन्य

योग -क- राजस्व लेखा २३,६४,१००

१०,६४,०५५।- २७,३०,०००।- ७३१२९६।-

(ख) पूंजी लेखा

८- लिये गये ऋण

१- सरकार से

२- खुले बाजार से

९- अनुदान

१-सरकार से

२- अन्य साधनों से

१० राजस्व लेखा से संक्रामिक धनराशि

योग-ख-पूंजी लेखा

(ग) उचन्त लेखा

११ निक्षेप (डिपाजिट)

१- भूमि आदि के क्रय के लिये बयाना तथा प्रारम्भिक मांगें ४५,०००

२- प्रतिभूतियां

(क) कर्मचारियों से ५,०००

(ख) अन्य से

३- स्टाम्प

४- अन्य निक्षेप

168

१२ अग्रिम की वसूली

१- स्थायी

२- गृहों के निर्माणार्थ दिये गये अग्रिम

३-पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से

४- अन्य अग्रिम — ५,००,०००

१३ विनियोग

१- विनियोगों का आहरण

२- विनियोजित धनराशि पर ब्याज

३- प्रतिभूतियों की बिक्री से आय

१४- लिये गये ऋण

१- सरकार से

२- खुले बाजार से

१५- सामान्य प्रयोजनों के लिये क्रय की गयी भण्डार वस्तुओं की बिक्री तथा आय तथा उनके मूल्य को जमा किया जाना ।

याग-ग-उचन्त लेखा — ५,५०,०००

योग (क), (ख), (ग)
१०,६४,०५५।-, २७,३०,०००।-,७३१२६६।- २६,४४,१००।-

२- नगर नियोजन विभाग

(क) राजस्व लेखा

१६ भवन निर्माण विभाग की आय

१- भवन चित्र शुल्क	७५,०००
२- तावान शुल्क	५०,०००
३- प्रतिलिपि एवं प्रमाणित करने का शुल्क	१,०००
४- ड्राफ्ट मैन लाइसेन्स शुल्क	७,०००
५- भवन चित्र प्रार्थना पत्र फार्म शुल्क	४,०००
१७ अन्य	
योग-क-राजस्व लेखा	१,३७,०००

(ख) पूंजी लेखा

१८ लिये गये ऋण

१- सरकार से
२- अन्य से

167

१८- लिये गये ऋण
१- सरकार से
२- अन्य से

१९ अनुदान

१- सरकार से

२- अन्य साधनों से

योग-ख-पूजी लेखा

(ग) उचन्त लेखा

२० अग्रिम

(१) स्थायी

(२) अस्थायी

(क) कर्मचारियों से

(ख) अन्य

२१- डिपाजिट

२२ विनियोग

योग -ग- उचन्त लेखा

योग क, ख, ग 1,37,000

१	२	३	४	५	६
३- विकास विभाग					
१- राजस्व लेखा					
२३ भूमि की बिक्री से आय		५,६०,१६०	२६,४२,०००	४,२३,४५५	४७,०८,०००
२४ अन्य आय					
२५ भवनों की बिक्री से आय					
१- भवनों का पूर्ण विक्रय					
२- भवनों का हायर परचेस पर विक्रय					
३- अन्य सम्पत्तियाँ					
२६ किराया तथा अन्य प्राप्तियाँ					
१- भवनों का स्थायी किराया					
२- भवनों का अस्थायी किराया					
३- अन्य प्राप्तियाँ					
(क) मार्केटिंग सेन्टर हेतु					५,००,०००
(ख) आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय हेतु					१०,००,०००
(ग) अन्य प्राप्तियाँ (जिनमें विनियोजित धनराशि पर ब्याज भी शामिल है)		१,१६,४११	३,०:,०००	रुं२६,३७४	२,५०,०००
२७ पूंजी के प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अनुदान तथा अंशदान					
१- सरकार से					
१-सामान्य प्रयोजनों के लिये					
२ मंहगाई भत्ता अनुदान					५०,०००
३- अन्य अनुदान					
२- अन्य साधनों से					
२८ प्राधिकरण की सम्पत्ति तथा अन्य सूत्रों से प्राप्तियाँ					
१- मशीनें, उपकरण, संयंत्र तथा अन्य चलसम्पत्ति की बिक्री से आय					५,०००
२- अन्य					
योग (क) राजस्व लेखा					६५,१३,०००

६,७६,५७१।-, २६,४२,०००।-, ५६२८२६।-

165

(ख) पूंजी लेखा

२९ लिये गये ऋण

(क) सरकार से

१- अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना				१५,००,०००
२- मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना				१५,००,०००
३- आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय हेतु				५,००,०००
४- भूमि अर्जन एवं विकास				८,००,०००
५- मलिन बस्ती निपातन योजना				२५,००,०००
६- हडको योजना				५०,००,०००
- अन्य योजनायें				५,००,०००।-
क) कानपुर रोड एवं सड़क एवं आवास योजना				२५,००,०००
।) बाघ कार्य				२,५०,०००
) इम्प्रूवमेन्ट आफ आरकेट एन्ड फेरट्स आफ कामर्शियलएरिया				१,००,०००
ख) खुलेबाजार से				
कों से				५०,००,०००
वन बीमा निगम से				
न्य से				
दान				
कार से				
म. दीर्घ में परियावरण सुधार योजना	७२,५७,३२६	१०,००,०००	४०,००,०००	१०,००,०००
बस्ती निपातन योजना				२,५०,०००
न्ट आफ आर्कटेरियल रोड्स सिंग हेतु विशेष अनुदान				१०,००,०००
जनायें			१,६३,८७५	
य से				
खा से संक्रामिक धनराशि				
योग (ख) पूंजी लेखा	७२,५७,३२६।-,	१०,००,०००।-,	११,६३,८७५।-	२,२४,००,०००

ाजिट)

169

१- भूमि आदि के क्रय के लिये बयाना तथा प्रारम्भिक मांगों के सम्बन्ध में			१०,०००
२- ठेकेदारों की प्रतिभूतियां एवं निक्षेप			५,०००
३- स्टाम्प			५,०००
४- अन्य निक्षेप	३,५०,०००	२,५१२	४,४५,०००
३३- निम्नलिखित के लिये किये गये कार्यों की लागत के सम्बन्ध में प्राप्त धनराशि			
१- गैर सरकार व्यक्ति।संस्थायें			
२- स्थानीय निकाय			
३- सरकार			
३४ अग्रिम की वसूली			
१- स्थायी			५,०००
२- गृहों के निर्माणार्थ दिये गये अग्रिम			
३- पदाधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग से			५,०००
४- अन्य अग्रिम	१,००,०००	३००	१०,०००
३५ विनियोग			
१- विनियोगों का आहरण	१०,००,०००		३०,००,०००
२- विनियोजित धनराशियों पर व्याज			
३- प्रतिभूतियों की बिक्री से आय			
४- अन्य			
३६ लिये गये ऋण			
१- सरकार से			
२- खुले बाजर से			
३७ सामान्य प्रयोजनों के लिये क्रय कीगयी भंडार वस्तुएं की बिक्री से आय तथा उनके मूल्य की जमा कियाजाना			५,०००
३८ अन्य			
योग (ग)उचन्त लेखा	१४,५०,०००।-	२,८१२।-	३४,६०,०००
योग क,ख,ग	७६,३३,६००।-	५३,६२,०००।-, १७,५६,५१६।-	३,२४,३३,०००

163

४- आवास विभाग

१- राजस्व लेखा

३६ भूमि की बिक्री से आय	४२,५१,५२७	६२,००,०००	६१,४६६	५५,००,०००
४० अन्य आय				
४१ भवनों की बिक्री से आय				
१- भवनों का पूर्ण विक्रय				२५,२४,९००
२- भवनों का हायर परचेज पर विक्रय	८,४६,६५२	२०,००,०००	५,२२,८६२	३३,३४,५००
३- अन्य सम्पत्तियाँ				
४२ किराया तथा अन्य प्राप्तियाँ				
१- भवनों का स्थायी किराया				
२- भवनों का अस्थायी किराया			४,२१,५००	३०,०००
३- अन्य प्राप्तियाँ	३६,३०३	५०,०००		
४३ पूंजी के प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अनुदान तथा अंशदान				
१- सरकार से				
१- सामान्य प्रयोजनों के लिये				३५,०००
२- मंहगाई भत्ता तथा अनुदान				
३- अन्य अनुदान				
२- अन्य साधनों से				
४४ प्राधिकरण की सम्पत्ति तथा अन्य सूत्रों से प्राप्तियाँ				
१- मशीनें, उपकरण, संयंत्र तथा अन्य				५,०००
२- अन्य सम्पत्ति की बिक्री से आय				
३- अन्य				
योग (क) राजस्व लेखा				१,१४,२६,४००

रू० ५१,३७,७८२।-, ८२,५०,०००।-, १०,०५,८६१।-

(ख) पूंजी लेखा

४५ लिये गये ऋण

(क) सरकार से				८,००,०००
१- अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना		४,००,०००		१०,००,०००
२- मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना		२०,००,०००		२,७५,०००
३- आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय हेतु		८,००,०००		२५,००,०००
४- भूमि अर्जन एवं विकास				
५- मलिन बस्ती निपातन योजना				
६- हुडको योजना			११,५७,०००	८,२६,०००
(अ) प्रथम चरण	२३,८६,०००	४०,१४,०००		३८,६०,०००
(ब) द्वितीय चरण		३,००,०००		
७- अन्य योजनायें				
(ख) खुले बाजार से				
१- बैंकों से				
२- जीवन बीमा निगम				
३- अन्य से				
४६- अनुदान				
१- सरकार से				
१- मिल क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार योजना				
२- मलिन बस्ती निपातन योजना				
३- अन्य योजनायें				
२- अन्य साधनों से				
४७- राजस्व लेखा से संक्रमिक धनराशि				८२,६४,०००

योग (ख) पूंजी लेखा
रू० २३,८६,०००|-, ७५,१४,०००|-, ११,५७,०००|-

ग- उचन्त लेखा				
४८ निक्षेप (डिपाजिट)				
१- भूमि आदि के क्रय के लिये बयाना तथा प्रारम्भिक मांगों के सम्बन्ध में				२,०००
२- ठेकेदारों की प्रतिभूतियां एवं निक्षेप				
३- स्टाम्प				
४- अन्य निक्षेप भवनों के आवंटन हेतु बयाना	२,५७३	२,००,०००	-	१,२५,०००

४९ निम्नालिखित के लिये किये गये कार्यों की लागत के सम्बन्ध में प्राप्त धनराशि				
१- गैर सरकारी व्यक्ति (संस्था -कन्ट्रोलिंग स्थारिटी				२,००,०००
२- स्थानीय निकाय				
३- सरकार.				
५० आग्रम की वसूली				
१- स्थायी				१०,०००
२- गृहों के निमाणार्थ दिये गये अग्रिम				५,०००
३- पदाधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग से				५,०००
४- अन्य	४,९७,३९०	५०,०००	—	--
५१ विनियोग				
१-विनियोगों का आहरण	५,००,०००	२०,००,०००	--	१०,००,०००
२-विनियोजित धनराशियों पर व्याज				
३- प्रतिभूतियों की किृी से आय				
४- अन्य				
५२ लिये गये ऋण				
१- सरकार से				
२- खुले बाजार से				
५३ सामान्य प्रयोजनों के लिये कृय कीगयी भंडार वस्तुओं की किृी से आय तथा उनके मूल्य को जमा किया जाना ।				
५४ अन्य — योग (ग) उचन्त लेखा	रू० ९,६९,९६३।-,	२२,५०,०००।-,	-	१३,४७,०००
योग, क, ख, ग	८४,९३,४४५।-,	१,८०,१४,०००।-,	२१,६२,८६१।-	२,१०,४०,४००
कुल आय (सामान्य), नगर नियोजन, विकास तथा आवास विभाग)	१,७४,९१,७००	२,६१,३६,०००	४६,५३,७०६	५,६५,२४,५००
प्रारम्भिक अवशेष	४४,४५,६५४	६४,७७,६३८	६४,७७,६३८	९६,५१,४००
प्रारम्भिक अवशेष को मिला कर कुल आय	२,१९,३७,३५४	३,२६,१३,६३८	१,११,३१,३४४	६,६१,७५,९००

160

व्यय-पक्ष :

मद संख्या	व्यय के शीर्षक	गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े। १९७३-७४	पुनरीक्षित बजट चालू वर्ष के आंकड़े १९७४-७५	प्रथम ६ माह के वास्तविक आंकड़े	वर्ष १९७५-७६ के बजट अनुमान
१	२	३	४	५	६
	१- सामान्य विभाग:				
	(क) राजस्व लेखा--				
	१-सामान्य पर्यवेक्षण तथा राजस्व आदि का समाहरण				
	(क) सामान्य पर्यवेक्षण	४,०८,५१९	७,००,०००	२,३३,७६६	
	१-पदाधिकारी एवं प्रधान कार्यालय अधिष्ठान -	--	--	--	२,१५,०००
	२-परीक्षण व्यय -	--	--	--	१,००,०००
	३--लेखा विभाग -	--	--	--	१,५०,०००
	४-रोकड़ विभाग -	--	--	--	३३,०००
	५-न्यायाधिकरण के सदस्य और कर्मचारी- पीठासीनअधिकारी-	८७,९४६	६०,०००	२६,२६३	७०,८३०
	६-भण्डार वस्तु क्रय विभाग-	--	--	--	--
	(ख) राजस्व का समाहरण				
	१-प्राधिकरण भवनों के किराये की वसूली -	--	--	--	१,५६,०००
	२-प्राधिकरण भूमि का क्रय-विक्रय-				६८,५००
	३-अन्य कर और शुल्क -				
	२-प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध:				
	१-प्राधिकरण की सम्पत्ति -				१४,०००
	२-नजूल				१,३८,५००
	घटायें - पर्यवेक्षण और समाहरण परिव्ययों का वह अनुपात जो अभियन्त्रण योजनाओं आदि के नाम डाला जायगा -				
	योग---				
	३- ऋणों का प्रतिदान :				
	(क) ऋण सम्बन्धी परिव्यय-	--	२९,००,०००	--	५,००,०००
	(ख) व्याज सम्बन्धी परिव्यय-	--	५३,००,०००	--	८,८३,०००
	४- प्रकीर्ण :				
	१-लेखन सामग्री आदि -	--	--	--	५०,०००

क्रमश:--

159

१	२	३	४	५	६
	२--मुद्रण पर व्यय -	--	--	--	२०,०००
	३--विधि सम्बन्धी परिव्यय-	--	--	--	२५,०००
	४--भविष्य निधि निवृत्ति वेतन, उपधान और कारण्य अधिदेय आदि -	--	--	--	५०,०००
	५--अनुदान और अंशदान :				
	(क) विकासयोजनाओं के लिये-	--	--	--	--
	(ख) अन्य प्रयोजनों के लिये -	--	--	--	--
	६-नजूल आय में सरकारी अंश-	--	--	--	--
	७-किराये -	--	--	--	--
	८-टेलीफोन -	--	--	--	४,०००
	९-बिजली -	--	--	--	४,०००
	१०-मेले बाजार आदि -	--	--	--	१,००,०००
	११-ऋण लेने के लिये बट्टा और अन्य परिव्यय -	--	--	--	--
	१२-वापसी -	--	--	--	१,०४,१७०
	१३-अन्य खर्चे -	--	--	--	४,१७,०००
	योग --(क) राजस्व लेखा:	४,९६,४९५।-	८९,६०,०००।-	२,६७,०२९।-	३०,८३,०००
	(ख) पूंजी लेखा :-				
	५- लिये गये ऋण :				
	१- सरकार से -	--	--	--	--
	२- खुले बाजार से -	--	--	--	--
	६- अनुदान :				
	१- सरकार से -	--	--	--	--
	२- अन्य साधनों से -	--	--	--	--
	७- राजस्व लेखा से संक्रामित धनराशि:	--	--	--	--
	योग-- (ख) पूंजी लेखा--	--	--	--	--

क्रमशः----

१	२	३	४	५	६
	(ग) उचन्त लेखा :-				
८-	निक्षेप (डिपाजिट) :				
	१-भूमि आदि के क्रय के लिये बयाना-तथा प्रारम्भिक मांगों के संबंध में	--	--	--	४५,०००
	२-प्रतिभूतियां :				
	(क) कर्मचारियों से -	--	--	--	५,०००
	(ख) अन्य -	--	--	--	--
	३-स्टाम्प -	--	--	--	--
	४-अन्य निक्षेप -	--	--	--	--
९-	अग्रिम :				
	१-स्थायी -	--	--	--	--
	२-गृहों के निर्माणार्थ दिये गये अग्रिम -	--	--	--	--
	३-पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का अग्रिम -	--	--	--	--
	४-अन्य अग्रिम -	--	--	--	५,००,०००
१०-	विनियोग :				
	१-सामान्य विनियोग -	--	--	--	--
	२-अन्य विनियोग -	--	--	--	--
	३-सामान्य प्रयोजनों के लिये भंडार वस्तुओं का क्रय -	--	--	--	--
	४-निक्षेप निधियों में से ऋणों का प्रतिदान -	--	--	--	--
	५-ऋण सम्बन्धी परिव्यय :				
	(क) सरकार से ---				
	१-ऋण का प्रतिदान-	--	--	--	--
	२-ब्याज परिव्यय -	--	--	--	--
	(ख) खुले बाजार से	--	--	--	--
	योग--(ग) उचन्त लेखा --				५,५०,०००
योग--(क + ख + ग) --		४,६६,४६४।-	८६,६०,०००।-	२,६०,०२६।-	३६,३३,०००

क्रमशः----

15

१	२	३	४	५	६
२--नगर नियोजन विभाग :					
(क) राजस्व लेखा --					
११-नगर नियोजक कार्यालय तथा भवन निर्माण विभाग का अधिष्ठान :					
१-अधिष्ठान का व्यय -	--	--	--	१,६४,६००	
२-वर्दी -	--	--	--	१,०००	
३-अग्रिम :					
(क) स्थायी -	--	--	--	--	
(ख) अस्थायी :					
१-कर्मचारियों को -	--	--	--	१०,४००	
२-अन्य -	--	--	--	--	
४-प्रकीर्ण -	--	--	--	२,०००	
५-स्टेशनरी -	--	--	--	२,०००	
१२-भूमि और सम्पत्ति का सर्वेक्षण:	--	--	--	--	
१३-भण्डार वस्तुएं :	--	--	--	--	
योग--(क) राजस्व लेखा--	--	--	--	२,१०,०००	
(ख) पूंजी लेखा --					
१४-लिये गये ऋण :					
१-सरकार से -	--	--	--	--	
२-अन्य से -	--	--	--	--	
१५-अनुदान :					
१-सरकार से -	--	--	--	--	
२-अन्य साधनों से -	--	--	--	--	
योग--(ख) पूंजी लेखा --	--	--	--	--	
(ग) उचन्त लेखा --					
१६-अग्रिम :	--	--	--	--	
१७-डिपाजिट :	--	--	--	--	
१८-विनियोग :	--	--	--	--	
योग -- (ग) उचन्त लेखा--	--	--	--	--	
योग --(क + ख + ग) --	--	--	--	२,१०,०००	

१	२	३	४	५	६
३--विकास विभाग :					
(क) राजस्व लेखा --					
१९-अधिष्ठान :		२,८२,६६७	३,६५,०००	१,७५,५२४	४,००,०००
२०-भूमि :					
१-भूमि का क्रय-		--	--	--	--
२-प्रतिकर -		२७,७६०	२,००,०००	६०,७५८	६,६६,०००
३-विक्री पर कमीशन -		--	--	--	--
२१-मशीनरी और संयन्त्र :		--	७५,०००	--	१,५०,०००
२२-उपकरण एवं भण्डार वस्तुएं :		१,०१,८६४	१,००,०००	५५,२८२	४,००,०००
२३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों से सम्बन्धित योजनायें बनाने का व्यय :		--	--	--	--
२४-निर्माण कार्य :					
१-भूमि का सर्वेक्षण और नक्शे-		१४,४३२	१०,०००	२०,९८०	३,००,०००
२-भूमि का सुधार -		१४,५३५	१,००,०००	२७,०६०	४,१६,०००
३-मार्ग और गलियां -		१,३५,७३४	६,६०,०००	२७,१०८	१२,२५,०००
४-मलनाले और नालियां -		३४,१३८	१,१४,०००	७,७१०	३,३८,०००
५- जलसंभरण -		६,८७६	४५,०००	--	१,६५,०००
६-भवन -		६२,४५६	८१,०००	१,१२५	१२,३०,०००
७-मरम्मत और अनुरक्षण -		२,१०,६४९	२,७५,०००	६१,९४३	५०,०००
८-रोशनी -		६,४२४	५०,०००	२,०४७	१,०७,०००
९-पार्क और वृक्ष संवर्धन-		१०,७०३	४७,०००	३,७३६	१,२१,०००
१०-प्रकीर्ण -		--	५०,०००	१,०६०	२०,०००
११-आकस्मिक व्यय -		५,२६६	२५,०००	२,८६७	५०,०००
योग--		५,३७,२१३	१४,५७,०००	१,५४,८३६	४०,२२,०००
२५-ऋण संबंधी परिव्यय :					
१-ऋणों का प्रतिदान -		--	--	--	१,५०,०००
२-व्याज संबंधी परिव्यय -		--	--	--	२,००,०००
३-निक्षेप निधि में भुगतान-		--	--	--	--
योग --		--	--	--	३,५०,०००

क्रमश:--

१ २	३	४	५	६
२६-वापस की गई धनराशि :				
(क) ठेकेदारों की प्रतिभूति-	--	--	--	--
(ख) भूमि की बिक्री हेतु प्राप्त अग्रिम -	--	--	--	--
(ग) अन्य वापसियां -	१,०३,८३४	२,५०,०००	२९,०२९	२,०००
२७-प्रकीर्ण :	[illegible],२७,३३६	[illegible],०००	[illegible],८[illegible]	--
१-लेखन सामग्री -	--	--	--	५०,०००
२-मुद्रण परिव्यय -	--	--	--	४०,०००
३-विधि व्यय -	--	--	--	१०,०००
४-भविष्य निधि, निवृत्ति वेतन, उपदान, कारुण्य अधिवर्ष आदि-	--	--	--	५०,०००
५-अनुदान और अंशदान -	--	--	--	--
६-किराये -	--	--	--	--
७-टेलीफोन -	--	--	--	१०,०००
८-बिजली -	--	--	--	१०,०००
९-ऋण लेने के लिये बट्टा तथा अन्य परिव्यय -	--	--	--	--
१०-अन्य मदें -	--	--	--	--
११-कर्मचारियों की वर्दी -	--	--	--	५,०००
१२-पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम -	--	--	--	३०,०००
योग --	१,१७,३३६	४,००,०००	३,८६,८१६	२,०५,०००
योग --(क) राजस्व लेखा--	११,७९,७०४/-	२८,७७,०००/-	८,६२,९४५	६४,६५,०००
(ख) पूंजी लेखा --				
२८-प्रतिकर :	--	--	--	८,००,०००
२९-उपकरण एवं भण्डार वस्तुएं :	--	--	--	५,००,०००
३०-मशीनरी और संयंत्र :	--	--	--	--
३१-निर्माण कार्य :				
(क) लिये गये ऋण :				
(अ) सरकार से --				
१-अल्प आय गृहनिर्माण योजना -	--	१०,०००००/-	--	१३,००,०००

क्रमश:---

154

१	२	३	४	५	६
	२-मध्यम आय गृहनिर्माण योजना -	--	२०,०००	--	१२,००,०००
	३-आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय हेतु -	--	--	--	५,००,०००
	४-मलिन बस्ती निपातन योजना-	--	--	--	२५,००,०००
	५-भूमि अर्जन एवं विकास योजना-	--	--	--	--
	६-हडको योजना -	--	--	--	५०,००,०००
	७-अन्य योजनायें :				
	(१)कानपुर रोड विकास एवं आवासयोजना-	--	--	--	२५,००,०००
	(२)बांध कार्य -	--	--	--	२,५०,०००
	(३)इम्प्रूवमेण्ट आफ आर्कीड्स एण्ड फं ड्स आफ कामर्शियल एरिया -	--	--	--	१,००,०००
	(४)अन्य योजनायें -	--	--	--	५,००,०००
	(ब)खुले बाजार से --				
	१-बैंकों से -	--	--	--	५०,००,०००
	२-जीवन बीमा निगम से	--	--	--	--
	३-अन्य स्रोत -	--	--	--	--
	(ख)अनुदान :				
	१-सरकार से --				
	(१)मलिन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार योजना -	५१,१३,४८०	५८,२०,०७५	२३,४८,८७१	३६,००,०००
	(२)मलिन बस्तीनिपातन योजना -	--	--	--	२,५०,०००
	(३)इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट आफ आर्टिरियल रोड्स एण्ड क्रासिंग -	--	--	--	१०,००,०००
	(४)अन्य योजनाएं -	--	--	१,९३,८७५	--
	२-अन्य साधनों से --	--	--	--	--
	राजस्व लेखा से संक्रामित धनराशि	--	--	--	--
	योग--(ख) पूंजी लेखा --	५१,१३,४८०।-	५८,५०,०७५।-	२५,४२,७४६।-	२,२४,००,०००।-

क्रमशः---

153

१	२	३	४	५	६
	३२- निक्षेप (डिपाजिट) - निम्नलिखित के मध्य निक्षेपों का वापस किया जाना।				
	१- भूमि आदि के क्रय के लिये बयाना और प्रारंभिक मांगें।	-	-	-	१०,०००।-
	२- ठेकेदारों की प्रतिभूतियां और निक्षेप	-	-	-	५,०००।-
	३- स्टाम्स	-	-	-	५,०००।-
	४- अन्य निक्षेप	१८,६९५।-	५६९६५०।-	४३८८४।-	४,४५,०००।-
	३३- निम्नलिखित के लिये किये गये कार्यों की वास्तविक लागत				
	१- गैर सरकारी व्यक्ति। संस्था				
	२- स्थानीय निकाय				
	३- सरकार				
	३४- अग्रिम				
	१- स्थायी				५,०००।-
	२- गृहों के निर्माणार्थ दिये गये अग्रिम				५,०००।-
	३- पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को	१०,०००।-	१०,०००।-		१०,०००।-
	४- अन्य अग्रिम				
	३५- विनियोग				
	१- सामान्य विनियोग	-	१००००००।- -		३०,००,०००।-
	२- अन्य विनियोग				
	३- प्रतिभूतियां				
	४- ऋणों का प्रतिदान				
	(क) सरकार से				
	१- ऋण संबंधी परिव्यय				
	२- ब्याज परिव्यय				
	(ख) खुले बाजार से				
	५- सामान्य प्रयोजनों के लिये भंडार वस्तुओं का क्रय				५,०००।-
	६- निक्षेप निधियों में से ऋणों का प्रतिदान				
	योग- ग उचन्त लेखा	२८,६९५।-	१६९६६५०।-	४३८८४।-	३४,९०,०००।-
	योग संवितरण क, ख, ग	६३,१२,८७९।-	९३९६७२५	३४४९५७५।-	३,४९,८५,०००।-

१ २	३	४	५	६
४- आवास विभाग				
(क) राजस्व लेखा				
३६- अधिष्ठान	७३,४२५।-	३,००,०००।-	५७,८४३।-	३,००,०००।-
३७- भूमि-भूमि का क्रय २-प्रतिकर ३-विक्री पर कमीशन	५,०१,८३३।-	२५,००,०००।-	५,००,०५०।-	२५,००,०००।-
३८- मशीनरी और संयंत्र	१,३५,६२५।-	५०,०००।-	३,९४७।-	३,२५,०००।-
३९-उपकरण एवंभंडार वस्तुयें	३,४४,०३८।-	३,००,०००।-	९८,१४३।-	१०,००,०००।-
४०- सार्वजनिक निर्माण कार्यों से सबंधित योजनायें बनाने का व्यय।	-	-	-	१,००,०००।-
योग	१०,५४,९२२।-	३१,५०,०००।-	६,५९,९८३।-	४२,२५,०००।-
४१- निर्माण कार्य				
१- भूमि का सर्वेक्षण और नक्शे	-	७०,०००।-	२४,१४८।-	७०,०००।-
२- भूमि का सुधार	-	२,००,०००।-	२४,२०८।-	२,००,०००।-
३- मार्ग और नालियां	-	१०,००,०००।-	६७,३४९।-	१५,००,०००।-
४- मल नाले और नालियां	-	५,००,०००।-	१६,४६७।-	७,००,०००।-
५- जल सम्भरण	-	७,००,०००।-	-	५,००,०००।-
६- भवन	-	३०,०००।-	-	३०,०००।-
७- मरम्मत और अनुरक्षण	-	-	-	५०,०००।-
८- रोशनी	-	१,००,०००।-	-	५,००,०००।-
९- पार्क और वृक्ष -संवर्धन	-	१,००,०००।-	-	३,००,०००।-
१०- प्रकीर्ण	-	५०,०००।-	२५,४४७।-	५०,०००।-
११- आकस्मिक व्यय	-	-	-	५०,०००।-
योग	१५,४५,७७७।-	२७,५०,०००।-	१,५७,६१९।-	३९,५०,०००।-
४२-ऋण संबंधी परिव्यय				
१-ऋणों का प्रतिदान	१४,८२,१०५।-	१३,२४,०००।-	८,०३,०००।-	७,१०,०००।-
२- व्याज सबंधी परिव्यय	१,८१,६३०।-	४,२५,०००।-	८६,३५९।-	५,२०,०००।-
निक्षेप निधि में भुगतान	- -	-	-	-
योग	१६,६३,७३५।-	१७,४९,०००।-	८,८९,३५९।-	१२,३०,०००।-
४३- वापस की गई धनराशि				
(क) ठेकेदारों की प्रतिभूति				२,५०,०००।-
(ख) भूमि की विक्री हेतु प्राप्त अग्रिम				
(ग) अन्य वापसियां	५१,९८६।-	३,००,०००।-	१,०२,२३७।-	१,५०,०००।-
४४- प्रकीर्ण	३२,३३१।-	५०,०००।-	६,९८३।-	

१	२	३	४	५	६
१-	लेखा सामग्री				२५,०००।-
२-	मुद्रण परिव्यय				१०,०००।-
३-	विधि व्यय				५,०००।-
४-	भविष्य निधि, निवृत वेतन, उपादान आदि				५,०००।-
५-	अनुदान एवं अंशदान				
६-	किराये				
७-	टेलीफोन				१०,०००।-
८-	बिजली				५,०००।-
९-	ऋण लेने के लिये बट्टा तथा अन्य परिव्यय				५,०००।-
१०-	अन्य मदें				१३,०००।-
११-	कर्मचारियों की वर्दी				१,०००।-
१२-	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्रिम				६०,०००।-
१३-	स्टाफ कार तथा जीप पर व्यय				२५,०००।-
	योग -- राजस्व लेखा	४३,४७,९५०।-	७९,९९,०००।-	३८,१५,८८१।-	९९,६९,०००
(ख)	पूंजी ~~लेखा~~ लेखा				
४५-	प्रतिकर				१५,००,०००।-
४६-	उपकरण एवं भंडार वस्तुये				३,५०,०००।-
४७-	मशीनरी एवं संयंत्र				१६,५०,०००।-
४८-	निर्माण कार्य				
(क)	लिये गये ऋण- १-सरकार से				
१-	अल्प आय निर्माण योजना		४,००,०००।-		६,५०,०००।-
२-	मध्यम आय गृह निर्माणयोजना		३०,१८,८००।-	३१८६८।-	२४,२०,४००।-
३-	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय हेतु		(२४,७५,७२०।-) →		२,७५,०००।-
४-	हुडको योजना फेस I	२४,७५,७२०।-	४०,१४,०००।-	५६५८३१।-	४,७९,०००।-
५-	फेस II				२५,६०,०००।-
५-	भूमि अर्जन एवं विकास योजना	९३,३४२।-	३,००,०००।-		४५,००,०००।-
६-	अन्य योजनायें				
२-	खुले बाजार से १- बैंकों २-जीवन बीमा निगम (३) अन्य से				
ख-	अनुदान सरकार से				
२-	अन्य साधनों से				
	राजस्व लेखा से स्थानान्तरित धनराशि				
	योग ख पूंजी लेखा	२५,६६,०६२।-	८८,०७,८००।-	६,२७,६६६।-	१,४३,८४,४००।-
(ग)	उचन्त लेखा				
४९-	निक्षेप (डिपोजिट) निम्नलिखित के मध्य निक्षेपों का वापस किया जाना				
१-	भूमि आदि के क्रय के लिये बयाना तथा प्रारंभिक रकमें				
२-	ठेकेदारों प्रतिभूतियां और निक्षेप				
३-	स्टाम्प				२०००।-
४-	अन्य निक्षेप		२,००,०००।-	२,०१०।-	१,२५,०००।-

150

१	२	३	४	५	६
५०- निम्नलिखित के लिये किये गये कार्य का वास्तविक लागत					
	१- गैर सरकारी व्यक्ति।संस्था। कन्ट्रोलिंग अथारिटी				२,००,०००।-
	२- स्थानीय निकाय				
	३- सरकार				
५१- अग्रिम					
	१- स्थायी				१०,०००।-
	२- गृहों के निर्माणार्थ किये गये अग्रिम				५,०००।-
	३- पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को				५,०००।-
	४- अन्य अग्रिम	२,३३,३६०।-	५०,०००।-		
५२- विनियोग					
	१-सामान्य विनियोग	१५,००,०००।-	२०,०००००।-		१०,००,०००।-
	२- अन्य विनियोग				
	३- प्रतिभूतियां				
	४- ऋणों का प्रतिदान				
	(क) सरकार से				
	१- ऋण संबंधी परिव्यय				
	२- ब्याज परिव्यय				
	३- खुले बाजार से				
	५- सामान्य प्रयोजनों के लिये भंडार वस्तुओं का क्रय				
	६- निक्षेप निधियों में से ऋणों का प्रतिदान				
	योग ग उचन्त लेखा	१७,३३,३६०।-	२२,५०,०००।-	२०१०।-	१३,४७,०००।-
	योग संवितरण क,ख,ग	८६,५०,३७२।-	१,९०,५६,८००।-	२४,४५,५९०।-	२,५७,००,४००।-
कुल संवितरण(सामान्य, नगर नियोजन, विकास, आवास)		१,५४,५९,७२६।-	३,९४,०३,५२५।-	६१,५५,३९४।-	६,४५,२८,४००।-
अंतिम शेष		६४,७७,६३८।-	-	४९,७६,१५०।-	१६,४७,५००।-
महायोग		२,१९,३७,३५४।-	-	१,११,३१,३४४।-	६,६१,७५,९००।-

(एस०के०बख्शी)
लेखाकार

(सै०विलायत हुसैन काजमी)
मुख्य लेखाधिकारी,

लखनऊ विकास प्राधिकरण

मूल आय व्ययक वर्ष १६७५-७६ का विवरण

आय पक्ष

१- प्रारंभिक शेष:- पाधिकरण का पारंभिक शेष रू० ६६,५१,४००।- अनुमानित है जिसका आगणान निम्न प्रकार किया गया है :-

सामान्य(विकास) निधि-		रू० ११,००,०००।-
मलिन क्षेत्रों मे पर्यावरण सुधार निधि (२० लाख विनियोजन शामिल करके)		रू० २६,००,०००।-
निक्षेप(Deposit) खाता(कन्ट्रोलिंग अथारिटी) फंडस्काउन्ट		रू० २५,०००।-
राजकीय अधिष्ठान संबंधी अनुदानजो वर्ष १६७४-७५ के अन्त मे प्राप्त हुई है और अगले वर्ष व्यय होना है।		रू० १,००,०००।-
राजकीय ऋण जो १६७४-७५ के अन्त मे प्राप्त हुये और वर्ष ७५-७६ मे व्यय होगे:-		
भूमि अध्याप्ति एंव विकास	रू० २५ लाख	
सामान्य विकास ऋण	२० लाख	
मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण यो०	६,२०,४००।-	
मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण का अवशेष	७,००,०००।-	
		रू०५८,२०,४००।-
अलीगंज निधि का समाप्ति शेष		१,०००।-
हुडको निधि		५,०००।-
	योग	रू० ६६,५१,४००।-

२- पाधिकरण की भूमि का लीज रेन्ट से रू० २,२५,०००।- तथा नजूल भूमि से लीज रेन्ट की आमदनी रू० १,६५,०००।- अनुमानित है। भवनो की हायर परचेज के विक्रय से लगभग १,२२,०००।- आमदनी होगी जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

३- विकास कालोनियो को महापालिका मे हस्तांतरित होने का विचार किया जा रहा है जिकास अंतिम निर्णय न हो सकने के कारण कालोनियो का किराया प्राधिकरण निधि मे जमा होता है । कालोनियो मे निर्मित भवनो के किराये से रू० १४-०० लाख रूपया की आय अनुमानित है ।

४- पाधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र मे डेवलपमेन्ट लेवी निधारित करना प्रस्तावित है । इस आशय हेतु एक लाख रूपया की आय का प्राविधान किया गया है । इसी भांति रू० १,४०,०००।- तथा रू० ५०,०००।- की आय सामान्य विभाग मे प्राधिकरण एंव नजूल से फुटकर के रूप मे प्राप्त होना अनुमानित है । सामान्य विभाग के अधिष्ठान हेतु लगभग १-०० लाख रूपया राजकीय महंगाई भत्ता प्राप्त होगा । बाजारो एंव घास आदि की बिक्री से ६२,१००।- को आय होने का अनुमान है ।

५- भूमि आदि के लिये बयाने के रूप मे तथा कर्मचारियो से प्रतिभूति स्वरूप क्रमश: रू० ४५,०००।- तथा ५,०००।- जमा होगा । प्राधिकरण द्वारा दिये गये अंतिम की वसूली से ५-०० लाख रूपया उचन्त लेखे मे प्राप्त होना अनुमानित है । इस पकार सामान्य विभाग की कुल आय रू० २६,४४,१००।- अनुमानित है ।

६- नगर नियोजन विभाग जिसमे भवन निर्माण विभाग की आय भी जमा होता है , विभिन्न प्रकार के शुल्को आदि से वर्ष मे १,३७,०००।- रूपया की आय का अनुमान किया गया है ।

७- विकास अभियन्त्रण द्वारा विभिन्न पकार के भूखंडो की बिक्री से लगभग रू० ४७,०८,०००।- को आय होगा जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख पर दिया गया है ।

८-मार्केटिंग सेन्टर बनाने हेतु तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय हेतु क्रमश: ५-०० लाख तथा १०-०० लाख रूपया प्राधिकरण निधि से प्राप्त होगा जिसमे रक्तो विनयोजन तथा अन्य प्राप्तियों से लगभग २-५० लाख रूपया को आय होगा । विकास अधिष्ठान हेतु राजकीय महंगाई भत्ता के रूप मे लगभग ५०,०००।- रूपया प्राप्त होगा। प्राधिकरण की बेचने लायक फुटकर संपत्ति से होने वाली आय रू० ५,०००।- अनुमानित है ।

९- शासन से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू० १,०१,५०,०००।- तथा हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन दिल्ली से ५०,००,०००।- तथा बैंकों से रू० ५०,००,०००।- रूपया ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। इसी भाँति मलिन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार योजना, मलिन बस्ती निपातन योजना एवं इम्प्रूवमेन्ट आफ आरकेटोरियल रोड एण्ड क्रासिंग हेतु शासन से २२,५०,०००।- का अनुदान प्राप्त होना अनुमानित है।

१०- उचन्त लेखे में डिपाजिट्स अंतिम एवं विनियोग विनिके अन्तर्गत होने वाली आय ३८,५०,०००/- २४,५०,०००।- रूपया का अनुमान है। इस प्रकार विकास विभाग के अन्तर्गत कुल आय रू० ३,२४,०३,०००।- अनुमानित है।

११- आवास अभियन्त्रण द्वारा प्लाटों की बिक्री से लगभग ५५-०० लाख रूपया प्राप्त होगा (परिशिष्ट अ)। इसी भाँति बनाये गये भवनों के पूर्ण विक्रय एवं हायर परचेज पर विक्रय से क्रमशः २५,२४,९००।- तथा ३३,३४,५००।- रूपया की आय होना प्रस्तावित है (परिशिष्ट ब)। आवास अधिष्ठान हेतु राजकीय अनुदान लगभग रू० ३५,०००।- प्राप्त होगा। राजस्व लेखे के अन्तर्गत ३५००० ।- रूपये की फुटकर आमदनी होगी। आवास अभियन्त्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन से रू० ३५,७५,०००।- तथा हुडको दिल्ली से ४६,८६,०००।- ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। उचन्त खाते में विभिन्न मदों के अन्तर्गत रू० १३,४७,०००।- की आय का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार आवास विभाग की कुल आय लगभग २,१०,४०,४००।- अनुमानित है।

१२- प्राधिकरण की राजस्व पूंजी एवं उचन्त लेखे का कुल आय रू० ५,६५,२४,५००।- अनुमानित है। प्रारम्भिक शेष रू० ९६,५१,४००।- को मिलाकर सकल आय ६,६१,७५,९००।- होने का अनुमान है।

व्यय पक्ष

१- प्राधिकरण के सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत उपाध्यक्ष तथा उनका कार्यालय अधिष्ठान(वैयक्तिक सहायक १, स्टेनो १, अर्दली १, चपरासी २) [illegible] एवं उनका कार्यालय अधिष्ठान (स्टेनो १, अर्दली १, चपरासी १) हेतु रू० ८० [illegible] का व्यय अनुमानित है । शेष पदाधिकारी तथा कर्मचारियों हेतु १,२५,०००।- रूपये का अनुमान किया गया है (परिशिष्ट ग) । इस प्रकार कुल २,१५,०००।- रूपये का प्राविधान है ।

२- प्राधिकरण का आडिट स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश द्वारा होनेका प्राविधान है । इस आशय हेतु रू० १,००,०००।- का प्राविधान परीक्षण व्यय के लिये किया गया है ।

३- लेखा विभाग के अन्तर्गत मुख्य लेखा अधिकारी एवं उनके अधिष्ठान हेतु १,५०,०००।- तथा रोकड़ विभाग के लिये ३३,०००।- रूपये का प्राविधान किया गया है जिकास विस्तृत विवरण परिशिष्ट " घ " पर अवलोकन किया जा सकता है ।

४- पीठासीन अधिकारी तथा उनके अधिष्ठान हेतु किये गये ७०,८३०।- रूपये के किये गये प्राविधान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट " ड " पर अवलोकन किया जा सकता है ।

५- राजस्व के समाहरण तथा प्राधिकरणकी संपत्ति के प्रबंध हेतु जिनमे रेन्ट, लेजर ट्रस्ट तथा रिकार्ड अनुभाग सम्मिलित है हेतु किये गये प्राविधान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट " च, छ, ज, झ " पर अवलोकन किया जा सकता है ।

६- नजूल विभाग के वेतन का भुगतान भी पूर्व की भांति प्राधिकरण निधि से किया जा रहा है इस आशय हेतु किये गये रू० १,३८,५००।- के प्राविधान का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

७- सामान्य विभाग मे ऋणो के प्रतिदान हेतु किये गये प्राविधान निम्नवत् है :

मूल ऋण	वार्षिक किश्त
रू० ४,७६,०००।-	४५,६३०।-
रू० २६,४८,६७५।-	१,७२,३००।-
रू० ३६,८४,८००।-	२,५१,६७३।-
रू० २३,००,०००।-	३,८२,६३२।-
रू० ६५,६०,०००।-	५,३८,६१५।-
कुल योग	१३,८२,०५०।-

मूलधन	५,००,०००।-
ब्याज	८,८२,०५०।-
योग	१३,८२,०५०।- से रू० १३,८३,०००।-

८- सामान्य विभाग के प्रकीर्ण व्यय हेतु रू० ७,५४,१७०।- का प्राविधान किया गया है । इसमे भूमि भवन कर की अदायगी के लिये रू० २,२५,०००।-, जलकर तथा मंडियो की सफाई हेतु रू० १,००,०००।- भी सम्मिलित है ।

९- सामान्य विभाग के उचन्त लेखे के अन्तर्गत विभिन्न मदो मे ५,५०,०००।- का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार सामान्य प्रशासन का कुल व्यय रू० ३९,३३,०००।- अनुमानित है ।

१०- नगर नियोजन जिसके भवन विभाग भी सम्मिलित है, के अधिष्ठान हेतु रू० २,१०,०००।- का प्राविधान किया गया है ।

११- विकास अभियन्त्रण विभाग मे राजस्व लेखे के अन्तर्गत ४०,२२,०००।- का व्यय विभिन्न कार्यो हेतु किया गया है । भूमि का सर्वेक्षण और नक्शे के अन्तर्गत किये गये ३,००,०००।- के प्राविधान का विवरण परिशिष्ट " ट" पर अवलोकन किया जा सकता है । शेष प्राविधान का विवरण परिशिष्ट ड पर संलग्न है । मरम्मत और अनुरक्षण हेतु ५०,०००।- रूपये का प्राविधान किया गया है ।

१२- अधिष्ठान, भूमि का प्रतिकर, मशीनरी और संयंत्र तथा उपकरण भंडार वस्तुओ हेतु रू० १९,१९,०००।- का प्राविधान किया गया है जिसमे प्रतिकर एंव मशीनरी और संयंत्र हेतु किये गये प्राविधान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ठ पर संलग्न है।

१३- विकास के ऋणो की अदायगी हेतु किये गये ३,५०,०००।- रूपये के प्राविधान का विवरण निम्न प्रकार है ।

मूल ऋण	मूलधन की किश्त	व्याज
२०,००,०००।-	१,५०,०००।-	२,०००००।-

१४- विभिन्न वापसियो हेतु रू० २०००।- तथा प्रकीर्ण व्यय हेतु २,०५,०००।- का उपबंध किया गया है । इस प्रकार राजस्व लेखा का व्यय रू० ६४,६५,०००।- अनुमानित है ।

१५- पूंजी लेखा के अन्तर्गत प्रतिकर एंव उपकरण भंडार वस्तुओ हेतु किये गये प्राविधान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ढ पर संलग्न है ।

१६-पूंजी लेखा के अन्तर्गत शेष २,१२,०००।- के प्राविधान मे शासन तथा हुडको से ऋण एंव शासन के अनुदान प्राप्त कर विभिन्न योजनाओ को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

१७- अग्रिम, डिपाजिट एंव विनियोग के लिये अभियन्त्रण विभाग के उचन्त लेखे मे ३४,९०,०००।- का उपबंध किया गया है ।

१८- आवास अभियन्त्रण विभाग के अन्तगत अधिष्ठान प्रतिकर मशीनरी और संयंत्र उपकरण और भंडार वस्तुये तथा योजनाये बनाने संबंधी व्यय आदि के लिये ४२,२५,०००।- तथा निर्माण कार्यों के लिये ३६,५०,०००।- का प्राविधान किया गया है। अधिष्ठान संबंधी विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

१९- आवासीय ऋणों के प्रतिदान के लिये किये गये १२,३०,०००।- के प्राविधान का विवरण निम्नवत् है :-

मूल ऋण	मूलधन	व्याज
२५,००,०००।-	१,६६,६६७।-	२,२५,०००।-
१०,००,०००।-	४०,०००।-	६६,६००।-
१०,९८,८००।-	४०,७५२।-	७०,६०८।-
२,७५,०००।-	६,१६७।-	१७,८७५।-
६,२०,९००।-	४१,३६०।-	५५,८३६।-
४५,७१,०००।-	४,१०,०००।-	७५,०००।-
	७,०७,९४६।-	५,१४,२१९।-
से ७,१०,०००।-		५,२०,०००।-

२०- विभिन्न वापसी तथा फुटकर व्यय हेतु रू० ५,६४,०००।- का उपबंध किया गया है। इस पकार आवास अभियन्त्रण के राजस्व लेखे का कुल व्यय९९,६६,०००।- अनुमानित है।

२१- पूंजी लेखे के अन्तर्गत ऋणों आदि से विभिन्न प्रकार की आवासीय योजनाओं [illegible] डिपाजिट बक भी शामिल है) तथा विनियोग आदि के लिये १३,४७,०००।- का उपबंध है इस प्रकार आवास अभियन्त्रण का कुल व्यय २,५७,००,४००।- अनुमानित है।

२२- प्राधिकरण का सम्पूर्ण संवितरण ६,४५,८८,४००।- होने का अनुमान है। कुल आय रू० ~~६६,७५,६००~~ ६,६१,०५,९००/- होने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्राधिकरण का अंतिम अवशेष १६,४७,५००।- रुपया होगा।

परिशिष्ट " क "

हायर परचे के भवन .
ट्रस्ट

कालोनी के नाम	भवनों का संख्या	वार्षिक आय / मांग
१- जमुना फील	५८	रू० ३८,४३२।६४
२- करौदिया मिल	२६	रू० ८,८२३।६०
३- राजेन्द नगर	३५	रू० १०,३९६।६४
४- महानगर	१२३	रू० ५७,०६६।००
५- बाल्दा रौड	१३	रू० ७,२७२।००
		रू० १,२१,६४३।८८

परिशिष्ट ' ख '

142

भूखंडो के विक्रय से

मद संख्या २३

१- नेपियर रोड योजना भाग(II)

६० भूखंडो प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल २००० वर्ग फीट
कुल भूखंडो का क्षेत्र फल १,२०,०००।- रु० ६,००,०००।-

२- भगवान इंडस्ट्रीज योजना

२८ भूखंड, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल ६००० वर्ग फीट
कुल भूखंडो का क्षेत्रफल १६८०० वर्ग फीट रु० ११,७६,०००।-

३- निवाज खेड़ा योजना

~~२८~~ १२ भूखंड, कुल क्षेत्रफल २१००० वर्ग फीट रु० १,०५,०००।-

४- चिता खेड़ा योजना

४ भूखंड, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल १८०० वर्ग फीट
कुल भूखंडो का क्षेत्रफल ७२००० वर्ग फीट रु० ३६,०००।-

५- करेहटा योजना

१७ भूखंड, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल १८०० वर्ग फीट
कुल भूखंडो का क्षेत्रफल ३०६०० वर्ग फीट रु० १,३०,०००।-

६- पाडे का तालाब योजना

५० भूखंड, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल १५००० वर्ग फीट
कुल भूखंडो का क्षेत्रफल ६०,०००।- वर्गफीट रु० ३,००,०००।-

७- विल्लोचपुरा योजना

१० भूखंड, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल १८०० वर्ग फीट रु० ७२,०००।-
कुल भूखंडो का क्षेत्रफल १८००० वर्ग फीट

८- वशारतगंज योजना

भूखंड का क्षेत्रफल ६०००० वर्ग फीट रु० ६०,०००।-

९- नवरत्न पार्क

८ भूखंड, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल ५०० वर्ग फीट
कुल भूखंडो का क्षेत्रफल ४००० वर्ग फीट रु० ३०,०००।-

१०- बाग मिर्जा जुम्मा योजना

३ भूखंड, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल १८०० वर्ग फीट
कुल भूखंडो का क्षेत्रफल ५४००० वर्ग फीट रु० ~~२६~~ २६,०००।-

११- महानगर विस्तार योजना

३८ भूखंड, जे०पार्क-३
कुल भूखंडो का क्षेत्रफल ८०,००० वर्ग फीट रु० ४,००,०००।-

पुराना चांदगंज आबादी के निकट लगभग २०००० वर्ग फुट	रू० १,४०,०००।-
१२- काला कांकर योजना	
३ भूखंड, कुल भूखंडों का क्षेत्रफल ५४०० वर्ग फीट	रू० ५४,०००।-
१३- मेवा नर्सरी योजना	
३ भूखंड, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल २००० वर्ग फुट	
कुल भूखंडों का क्षेत्रफल ६००० वर्ग फुट	रू० २८,०००।००
१४- पेपर मिल योजना	
३५ भूखंड भीमपुर	
कुल क्षेत्रफल ६०००० वर्ग फुट	रू० २,००,०००।-
१५- ला प्लास	
बंगलों में खुली पड़ी भूमि	
कुल भूमि का क्षेत्रफल ९०००० वर्गफीट	रू० १३,५०,०००।-
	रू० ४७,०८,०००।-

140

परिशिष्ट " अ "

<u>भूखंड से आय</u>

(३५० भूखंडो का कुल मूल्य रू० ६०,००,०००।-होगा)

१- ३५० भूखंड अलीगंज योजना के ३० अप्रैल, १९७५ तक आवंटन करके प्रथम किश्त ले ली जायेगी तथा द्वितीय किश्त अक्टूबर १९७५ तक ली जायेगी जिससे विभाग को मिलेगा । रू० ३०,००,०००।००

२- ३०० भूखंड का पूर्ण प्रीमियम ५० लाख रूपया होगा जिनका कि आवंटन अक्टूबर १९७५ तक होगा । आवंटियो से प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त का धन मिलेगा। रू० २५,००,०००।००

कुल रू० ५५,००,०००।००

<u>अलीगंज के भवनों से आय:-</u>

(१)	३०	तीन कमरेवाले मकान जिनका किराया क्रय आधार पर आवंटन हो चुका है। , से जूलाइ ७५ एवं जनवरी ७६ में दो छमाही की किस्त ली जायगी---- रु० २,५००/- प्रति छमाही	रू०१,५०,०००।-
(२)	२२	दो कमरेवाले मकान जिनका किराया क्रय आधार पर आवन्टन हो चु T है से जलाई ७५ एवं जनवरी ७६ में दो छमाहि की किस्ते की जायेगी। रू०१५६०।- प्रति छमाही।	रू० ६८,६४०।-
(३)	८०	एक कमारेवाले मकान जिनका किराया क्रय आधार पर आवन्टन हो चुका है। से जलाई ७५ एवं जनवरी ७६ में दो छमाही की किस्ते ली जायेगी रू०९३५।- प्रति छमाही।	रू०१,४९,६००।-
			कुल रू० ३, ६८,२४०।- ००
१-	१९	मकान तीन कमरेवाले सन् ७५ एवं ७६ में आऊट राइट सेल के आधार पर बिकने की आशा है। (४८,७८२-२८०००) जो कि अग्रिम धनराशि के रूप में जमा है।) =४५,९८२।- प्रत्येक मकान का मिलेगा	रू०८,७३,६५८-००
२-	२०	मकान तीन कमरेवाले सन् ७५ एवं ७६ में किराया क्रय आधार पर आवंटित किये जायेंगे तथा इनसे प्रथम किस्त के रूप में रू०१८,६००।- तथा प्रथम छमाही किस्त रू०२५००।- जनवरी ७६ की ली जायगी। = २१,१००।-	रू०४,२२,०००।-
३-	१३	मकान दो कमरेवाले सन् ७५ एवं ७६ में आऊट राइट सेल क आधार पर बिकने की आशा है। २९३९९।- रू०१४००।- (जो अग्रिम धनराशि के रूप में जमा है।) = २७,९९९।- प्रत्येक मकान का मिलेगा।	रू०३,६३,५९७।-

कृ०प०उ०

138

२५ मकान तीन कमरेवाले सन् ७५ एवं ७६
में आउट राइट सेल के आधार पर
बिकने की आशा है।

(४६,३७६-२८००)

रू०४६,५७६।-   रू०११,६४,४००।-

कुल
५० मकान तीन कमरेवाले सन् ७५ एवं ७६
में किराया क्रय आधार पर आवंटत किये
जायेंगे तथा इनसे प्रथम किस्त के रूप में
रू० १८,६००।- तथा प्रथम छमाही किस्त
जनवरी ७६ के रूपये २५००।- की जायेगी
२११००।-   रू०१०,५५,०००।-

२.० मकान एक कमरेवाले सन् ७५ एवं ७६ल
में किराया क्रय आधार पर आवंटिछ
किये जायेंगे तथा इनसे प्रथम किस्त के रूप में
रू०२५००।- तथा प्रथम छमाही किस्त
रू०५४०।- कुल रूपया २५६०।- के हिसाव
से ली जायगी।   रू० ६,६८,८००।-

कुल योग रू०२८,८८,२००।-
\+ रू०२६,७१,२५६।-

योग रू०५८,५६,४५६।-

(३६) 137

परिशिष्ट ' ग '

अनुभाग :- - - - - सामान्य विभाग

पद	पद संख्या	कुल उपलब्धियां जो प्रति माह भुगतान की जाती है।	विवरण
उप नगर अधिकारी	१	१३५६।-	
सहायक नगर अधिकारी	१	७३२।-	
अधीक्षक कार्यालय	१	४६५।-	
स्टेनों	१	३०६।-	
द्वितीय श्रेणी लि०	२	५२६-४०	
ड्राइवर	१	२२५-२०	मास जनवरी ७५ से ३ मास के लिए
जमादार	१	२४३-३०	मुख्य विभाग की स्वीकृति संख्या में।
दफतरी	१	२३६-३०	
चौकीदार	२	४५५-८०	
माली	२	४५५-८०	
फराश	१	२३३-५०	
चपरासी	११	२५२६-६०	
स्वीपर	१	२२० -60	
पार्ट टाइम स्वीपर	१	९८-७५	
योग		रू० ८०१३-१५	

वर्ष १९७५-७६ में कुल व्यय ८०१३-१५ x १२ = ९६,१५७-८० पै०

४० प्रतिशत अवकाश वेतन मंहगाई भत्ता तथा पी०एफ० कन्ट्रीब्यूशन हेतु ३८,४६३-१२ पै०

योग १,३४,६२०।९२ पै०

राउन्ड फीगर में रू०१,३५,०००।- (रू० एक लाख पैन्तीस हजार) केवल

-:०:-

कृ०प०उ०

136 (36) परिशिष्ट "घ"

लेखा एवं रोकड़ विभाग का अधिष्ठान

पद	पद संख्या	कुल उपलब्धियां जो प्रति मास भुगतान की जाती है।	विवरण
मु० लें० अ०	१	८११।-	
स० लें० अ०	१	६३०।-	
स्टेनो	१	३५६।-	
लेखाकार	१	४२०।-	
स० लेखाकार	१	२२६।-	
वि० लेखाकार	१	३७१।-	
लेखा लिपिक	६	१८३६।-	
लिपिक (द्वितीयश्रेणी)	४	१३२८।-	
दफतरी	१	१७०।-	
अर्दली	१	२४२।-	
चपरासी	५	१२१०।-	
योग		७६००।-	

७६०० १२ = रू०९१,२००।-

२५ प्रतिशत रू०२२,८००।-

रू०११४००० ।-

कैश विभाग

कैशियर	१	३६२।-
सहायक कैशियर	३	१०३८।-
गन मैन	२	४७४।-
चपरासी		२४२।-
योग		२१४६।-

२१४६ x १२ = रू०२५,७५२।-

२५ प्रतिशत = रू० ६,४३८।-

योग रू०३२,१९०।-

नगूल लेखा विभाग

लेखा कार	१	४२०।-
वि० लेखाकार	१	३७१।-
लिपिक(द्वि०श्रेणी)	२	६६४।-
चपरासी	१	२४२।-

- - - - - - - - - - -

योग १,६९७।-

१,६९७।- X १२ =२०,३६४।-

२५ प्र०श० = ५,०९१।-

- - - - - - - - -

२८ ,४५५।-

- - - - - - - - - - -

सै ३०,०००।-

प्राधिकरण १,१४,०००।-

कैश विभाग ३२,१९०।-

न०ले०वि० २५,४५५।-

- - - - - - - - - -

कुल योग १,७१,६४५।-

परिशिष्ट 'ङ'

(३६)

पीठासीन अधिकारी, न्यायाधिकरण
लखनऊ।

० ० ० ०

नाम	पद संख्या	कुल उपलब्धियाँ	विवरण
पीठासीन अधिकारी	१	२६,२६२।-	
पेशकार	१	७,२७८।-	
स्टेनो	१	५,८१७।६०	
अहलमद		३,६८६।-	
अर्दली		३,२४३।४४	
आफिस प्यून		३,२०८।८०	
दफतरी कम फर्राश		२,६४०।-	
नकदीकरण अवकाश		१,६६८।२३	पूरे स्टाफ का एक माह का वेतन
यूनिफार्म		५००।-	दो अर्दली एक दफतरी-कम-फराश के लिये
स्टेशनरी		५००।-	
अतिरिक्त मँहगाई भत्ता			
योग का २५ प्र०श० अप्रत्याशित भविष्य व्यय		१३,६२६।८२	
वर्तमान आकस्मिक व्यय		१,२००।-	१००।- प्रतिमास की हिसाब से
योग		७०,८३०।०६	

कृ०प० उ०

133

परिशिष्ट च

(४०)

अधिष्ठान सामान्य लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बंधित वर्ष

१९७५-७६ का वजट

अनुभाग रैन्ट विकास

पद	पद संख्या	कुल उपलब्धियां जो प्रतिमास भुगतान की जाती हैं।	विवरण
सहायक कर अ०	१	४२३।-	
प्र०श्रे०लि०	२	६६६-६०	
द्वितीय श्रे०लि०	५	१२८२।६०	
चपरासी	१	२३५।५०	
कर संचयक	७	१४२०।६०	
	योग	४३२१।३०	

वर्ष १९७५-७६ में कुल व्यय ४३२१-३० X १२ = रू०५१,८५५-६०

४० प्र०श० अवकाश वेतन मंहगाई भत्ता

पी०ऊ० कान्ट्रीव्यूशन हेतु रू०२०,७४२-२४

कुल योग रू०७२,५९७-८४

राउन्ड फीगर में रू०७३,०००।- (रूपया तिहत्तर हाजार) केवल

कृ०प०उ०

(६१)

अधिष्ठान सामान्य लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बंधित वर्ष १९७५-७६ का बजट

परिशिष्ट 'द'

अनुभाग- लेखा

पद	पद संख्या	कुल उपर्लब्धयाँ जो प्रतिमाह भुगतान की जाती है।	विवरण
प्रधान लिपिक	१	४४६।- 409/-	
प्र०श्रे०लि०	१	६९८-००	
द्वितीय श्रेणी लिपिक	३	८०४-६०	
जिलेदार	६	१६४७-२०	
चपरासी	५	११५४-७०	
	योग	४६३३-७०	

वर्ष १९७५-७६ में कुल व्यय रू० ४,६३३।७० X १२ =रू०५६,२०४-४०

४० प्रतिशत अवकाश वेतन मँहगाई भत्ता तथा पी०एफ० कन्ट्रीब्यूशन २३,६८१-७६

योग =८२,८८६-७६ (१६)

राउन्ड फीगर में रू०८३,०००।- (रू०तेरासी हजार) केवल

कृ०प०उ०

(४२) 13

परिशिष्ट "ज"

अधिष्ठान सामान्य लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बंधित वर्ष १९७५-७६ का बजट

अनुभाग- ट्रस्ट

पद	पद संख्या	कुल उपलब्धियाँ जो प्रतिमाह भुगतान की जाती है।	विवरण
प्रधान लिपिक	१	३८८-००	
प्रथम श्रे०लिपिक	२	६२४-००	
द्वितीय श्रे०लिपिक	८	२१३२-८०	
चपरासी	४	९२८-२० ~~९२४-८०~~	

योग ४,०७३-००

वर्ष १९७५-७६ में कुल व्यय ४०७३ X १२ = ४८,८७६-००

४० प्रतिशत अवकाश वेतन मंहगाई भत्ता
तथा पी०एफ०कान्ट्रीब्यूशन १९,५५०-४०

रू०६८४२६-४०

राउन्डफीगर में रू०६८,५००/- (रू०अड़सठ हजार पाँच सौ) केवल

कृ० प० उ०

130

परिशिष्ट " फ "

(८३)

अधिष्ठान सामान्य लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बंधित वर्ष १९७५-७६ का बजट

अनुभाग- रेकर्ड

पद	पद संख्या	कुल उपलब्धियों की प्रतिमाह भुगतान की विवरण जाती है।
प्रथम श्रेणी लिपिक	२	६००-००
चपरासी	१	२२०-००
योग		८२०/-

वर्ष १९७५-७६ में कुल व्यय ८२० X १२ = रु०९,८४०-००

४० प्रतिशत अवकाश वेतन, मंहाई भत्ता

तथा पी०एफ० कान्ट्रीब्यूशन = रु०३,९३६-००

योग रु०१३,७७६-००

राउन्ड फीगर में रु०१४,०००/- रुपया चौदह हजार केवल)

कृ०प०उ०

129

परिशिष्ट - जे

(88)

अधिष्ठान सामान्य लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बंधित वर्ष १९७५-७६ का बजट

अनुभाग - नजूल

पद	पद संख्या	कुल उपलब्धियां जो प्रतिमाह भुगतान की जाती है।	विवरण
प्र०लि०	१	४१०-००	
प्रथम श्रे०लि०	६	१८७३-२०	
द्वितीय श्रे०लि०	९	२५५१-६०	
अमीन	५	१२८९-८०	
निरीक्षक	१	२८३-४०	रैन्ट सामान्य से स्थानान्तरित पद
नायब तहसीलदार प्रतिनियुक्त पद	१	६३६-००	नान शिड्यूल पोस्ट
चपरासी	५	११८३-५०	

योग रू०८२२७-५०

वर्ष १९७५-७६ में कुल व्यय ८२२७-५० X १२ = रू०९८,७३०-००

४० प्रतिशत अवकाश वेतन, मँहगाई भत्ता

तथा पी०एफ कान्ट्रीब्यूशन हेतु ३९,४९२-००

योग रू०१,३८,२२२।-

राउन्ड फीगर में १,३८,५००।- (रूपया एक लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) केवल

कृ०पृ०उ०

परिशिष्ट " ट "

(८५)

हेड २४-१

भूमि का सर्वेक्षण एवं नक्शे

१- सब्जी मंडी फलों की मंडी की योजना सर्वेक्षण तथा नक्शे २- ट्रान्सपोर्ट नगर योजना का सर्वेक्षण एवं नक्शे ३- टिम्बर नगर योजना का सर्वेक्षण ४- कैटिल कालोनी व सर्वेक्षण एवं नक्शे ५- कानपुर रोड नगर एवं विस्तार योजना, नबीउल्लाह योजना, शाहमीन रोड भाग-३ कामर्शियल काम्पलेक्स योजना, अहातों की मलिन बस्ती निपातन योजना तथा अन्य विकास सम्बंधी योजनाओं का सर्वेक्षण एवं नक्शे।	रु०३,००,०००।-

कृ०प०उ०

127

(४६)

परिशिष्ठ " ठ "

मद संख्या २०(२) राजस्व

१- कुतुबपुर इरादत नगर योजना	रू०००-२०लाख
२- अहाता रसूल खान	रू००-१०लाख
३- छिबबापुर योजना	रू०१-६६ "
४- अहाता रानी साहब	रू००-१० "
५- भूपाल हाउस	रू००-६० "
६- नक्खास योजना	रू००-२० "
७- टी०जी०नार्थ सिविल लाईन	रू००-२० "
८- कैपटलाइज्ड वैलू	रू०१-३० "
	रू०४-६६ "
हुडकी योजना हेतु	रू०५-०० "
	रू०९-६६ "

२१- मशीनरी एवं यंत्र

रोड रौलर	रू०१-५० "

२२- उपकरण एवं भंडार

१- टूल्स एण्ड प्लान्ट्स	रू०१-०० लाख
२- सीमेन्ट	रू०१-०० "
३- लोहा	रू०१-०० "
४- सेनेट्री फिटिंग	रू००-२५ "
५- विद्युत	रू००-२५ "
६- आइन आयरन	रू००२५ "
७- फुटकर	रू००-२५ "
	रू०४-०० "
२७-१ लेखा सामग्री	रू००-५० "
२७-२ मुद्रण पर व्यय	रू००-४० "

कृ०प०उ०

मूल बजट वर्ष १९७५-७६ परिशिष्ट " ह "

क्र.संख्या योजना का नाम	भूमि का विकास २४(२)	सड़क २४(३)	सीवर २४(४)	वाटरमेन २४(५)	भवन २४(६)	प्रकाश २४(८)	पार्क २४(९)	योग
१- नक्खास	५०,०००।-	१,००,०००।-	१०,०००।-	२६,०००।-	४०००००।-	१५०००।-	२०,०००।-	६,७१,[illegible]।-
२- बाग मिर्जा जुम्मा योजना	१०,०००।-	२०,०००।-	१०,०००।-	१५,०००।-	~~[illegible]~~	२०००।-	१०,०००।-	४७,०००।-
३- नेपियर रोड योजना भाग १	२,०००।-	५,०००।-	३,०००।-	-	-	-	४,०००।-	१३,०००।-
४- नेपियर रोड योजना भाग-२	८,०००।-	५०,०००।-	८,०००।-	१०,०००।-	-	८०००।-	४,०००।-	८६,०००।-
५- भगवान इंडस्ट्रीज	४०,०००।-	२,२५,०००।-	५,०००।-	२५,०००।-	-	१००००।-	२०,०००।-	३,२५,०००।-
६- निवाज खेड़ा	३,०००।-	८०,०००।-						८३,०००।-
७- चित्ता खेड़ा	२,०००।-	१५,०००।-	५,०००।-	५,०००।-	-	-	-	२७,०००।-
८- करेंटा	५,०००।-	४०,०००।-	-	५,०००।-	-	-	-	५०,०००।-
९- पाण्डे का तालाब योजना	१०,०००।-	४५,०००।-	२०,०००।-	१५,०००।-	-	१५०००।-		१,०५,०००।-
१०- बिल्लोचपुरा	२,०००।-	१५,०००।-	-	-	-	-	५०००।-	२२,०००।-
११- बशीरतगंज योजना	२,०००।-	२५,०००।-	१,०००।-	१,०००।-	-	१०००।-	-	३०,०००।-
१२- नवतरन पार्क	२०,०००।-	५,०००।-	-	-	-	-	-	२५,०००।-
१३- पाण्डेगंज योजना	४,०००।-	१०,०००।-	-	-	-	१००००।-		२४,०००।-
१४- क्लन्ट स्क्वायर	२५,०००।-	१,००,०००।-	२५,०००।-	१४,०००।-	-	-	१५०००।-	१,६९,०००।-
१५- अमीरनगर	५,०००।-	२०,०००।-	१०,०००।-	१०,०००।-	-	१०००।-	-	५५,०००।-
१६- महानगर विस्तार योजना	३०,०००।-	५०,०००।-	१०००००।-	२०,०००।-	-	१००००।-	३५,०००।-	२,३२,०००।-

परिशिष्ट "ड"

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१७	कुतुबपुर इरादत नगर योजना	१०,०००|-	५०,०००|-	१०,०००|-	५,०००|-	-	५,०००|-	१०,०००|-	९०,०००|-
१८	पेपर मिल योजना	२०,०००|-	५०,०००|-	३०,०००|-	२०,०००|-	--	१०,०००|-	--	१,३०,०००|-
१९	कालाकांकर योजना	२५,०००|-	४०,०००|-	४०,०००|-	१०,०००|-	--	१०,०००|-	--	१,२५,०००|-
२०	मेवा नर्सरी योजना	५,०००|-	३०,०००|-	२०,०००|-	१०,०००|-	--		१०,०००|-	७५,०००|-
२१	ला प्लास	५,०००|-	५,०००|-	३,०००|-	३,०००|-	-	१,०००|-	-	१६,०००|-
२२	एकाबगंज पुल को चौड़ा करना	-	२०,०००|-	-	-	-	-	-	२०,०००|-
२३	एरिया विहाइन्ड आइ०टी० कालेज	-	२५,०००|-	४५,०००|-	-	-	-	-	७०,०००|-
२४	स्लाटर हाउस योजना	५०,०००|-	१५,०००|-	-	-	-	-	-	६५,०००|-
२५	नवीउल्लाह रोड	१०,०००|-	२५,०००|-	-	-	-	-	-	३५,०००|-
२६	बन्धे के किनारे सब्जी मंडी योजना	१०,०००|-	२५,०००|-	-	-	-	-	-	३५,०००|-
२७	शाहमीना रोड योजना	२०,०००|-	२५,०००|-	-	-	-	-	-	४५,०००|-
२८	हाता सरजू प्रसाद	१०,०००|-	२०,०००|-	-	-	-	-	-	३०,०००|-
२९	हाता रुक्मिणी प्रसाद	१०,०००|-	३०,०००|-	-	-	-	-	-	४०,०००|-
३०	हाता रसूल खाँ	१०,०००|-	१५,०००|-		-	-	-	-	२५,०००|-
३१	क्रिश्चन रेक्रासिंग योजना	१०,०००|-	१५,०००|-		-	-	-	-	२५,०००|-
३२	हाता कामता प्रसाद	५,०००|-	२०,०००|-	-	-	-	-	-	२५,०००|-
३३	कैसरबाग मंडी योजना			-	-	५०,०००|-	-	-	५०,०००|-
३४	बबिया योजना	८,०००|-	६०,०००|-	१५,०००|-	१०,०००|-	-	-	-	६३,०००|-
३५	नगर के विभिन्न स्थानों पर पर दूकानों का नौपा					८०,०००|-	-	-	८०,०००|-
योग		४,१६,०००|-	१२५५,०००|-	३५८,०००|-	१,६५,०००|-	१२५०,०००|-	१०७,०००|-	१२२,०००|-	३६७२,०००|-

परिशिष्ट "छ"

मद सं० २८

पूंजीगत

१- स्ट्रेन्जर हाउस	रू०४-०० लाख
२- अहाता कामता प्रसाद	रू०१-०० "
३- आहाता मातादीन	रू००-५० "
४- नैपियर रोड योजना भाग ३	रू०१-४० "
५- नबीउल्लाह रोड योजना	रू००-४० "
६- चौधरी गढ़ैया	रू००-२५० "
७- शाहमीना रोड	रू००-३०० "
८- बन्धे के किनारे सब्जी मंडी	रू०१-०० "
	रू०८-००
	रू०६-

मद संख्या २६

१- उपकरण एवं भंडार वस्तुए	रू०
१- सीमेन्ट	रू०२-०० "
२- लोहा	रू०१-००
	रू०२-००
३- कोयला	
	रू०५-०० लाख

मूल बजट वर्ष १९७५-७६

अधिष्ठान (४) अभियन्त्रण विकास

क्रमांक पद का नाम	पद सं०	वेतनमान	वेतन	भत्ते	योग	विवरण
१- नगर अभियन्ता (विकास)	१	६५०-१४५०	९००।-	२५७।-	११५७।-	
२- सहायक अभियन्ता	४	५००-११५०	-	-	२८००।-	
३- अवेक्षक	२०	२८०-४६४	-		८४००।-	
४- कम्प्यूटर	१	२८०-४६४	-	-	५७०।-	
५- आशु लिपिक	१	२४०-४२४		७६।-	३६२।-	
६- प्रधान लिपिक	१	२४०-४२४	३४२।-	७०।-	४१२।-	
७- प्रथम श्रेणी लिपिक	४	१९५-३१५	११४८।-	३२०।-	१४६८।-	
८- द्वितीय श्रेणी लिपिक	४	१९५-३२५	-	-	२४२०।-	
९- ट्रेसर	४	१७६-२५०	९२८।-	२६०।-	११८८।-	
१०- ड्राफ्टमैन	३	२८०-४६४	९१२।-	३२०।-	१२३२।-	
११- फेरी ब्वाय	१	१६८-२१८	१८०।-	४४।-	२२५।-	
१२- अर्दली	१	१६८-२१८	१८०।-	४४।-	२२५।-	
१३- वर्क एजेन्ट	१	१७२-२२६	१८२।-	५५।-	२३७।-	
१४- खल्लासी	१८	१६५-२१५	३४०।-	८३६।-	४२३०।-	
१५- चपरासी	६	१६५-२१५	१०७५।-	३०९।-	१३८३।-	
१६- माली विकास	७	१६५-२१५	१२३९।-	३५७।-	१५९६।-	
					२७,०९।-	

वार्षिक व्यय रू० ३,३४,८२४।-

122

मूल बजट वर्ष १९७५-७६

अर्जन विभाग

क्रमांक पद का नाम	पदसंख्या	वेतन मान	वेतन	भत्ते	योग	विवरण
१- प्रधान लिपिक	१	२४०-४२४	३४२।-	७०।-	४१२।-	
२- प्रथम श्रेणी	२	१९५-३१५	५७४।-	१६०।-	७३४।-	
३- द्वितीय श्रेणी लिपिक	४	१८५-२८०	९००।-	२६०।-	११६०।-	
४- अमीन	७	७५-१५०	५२५।-	८३३।-	१३५८।-	
५- चपरासी	१	१६५-२१५	२७९।-	५२।-	३२१।-	
६- कुली	३	१६५-२१५	४९५।-	१५०।-	६४५।-	
					४५४०।-	

वार्षिक व्यय रू० ५४,४८०।-

अभियन्त्रण विकास	रू० ३?३४,८२४।-
अर्जन विभाग	५४,४८०।-
बढ़े हुये महंगाई भत्ता	१०,७००।-
	रू० ४,००,००४।-

से रू० ४,००,०००।-

अधिष्ठान

क्रमांक	पद	संख्या	अग्रिम वेतन	माह	धनराशि
१-	अधिशासी अभियन्ता	१	१४३०।-	१२	१७,१६०।-
२-	असिस्टेन्ट इंजीनियर	४	३१३७।-	१२	३७,६४४।-
३-	अवर अभियन्ता	२०	८०००।-	१२	९६,०००।-
४-	प्रधान लिपिक	१	४२५।-	१२	५,१००।-
५-	लेखा लिपिक	१	६००।-	१२	७,२००।-
६-	प्रथम श्रेणी लिपिक	३	९००।-	१२	१०,८००।-
७-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	३	७५०।-	१२	९,०००।-
८-	आशु-लिपिक	१	३३५।-	१२	४,०२०।-
९-	स्टोर कीपर	१	३५०।-	१२	४,२००।-
१०-	ड्राफ्ट्समैन	४	१६००।-	१२	१९,२००।-
११-	ट्रेसर	२	५००।-	१२	६,०००।-
१२-	फेरो ब्वाय	१	२५०।-	१२	३,०००।-
१३-	चपरासी	९	२२५०।-	१२	२७,०००।-
१४-	ड्राइवर	१	२५०।-	१२	३,०००।-
					२,४९,३२४।-
				अवकाश वेतन	२५,०००।-
					२,७४,३२४।-
	पी०एफ०पेन्शन कंट्रीब्यूशन तथा कान्टीजेन्सीज				२५,६७६।-
				कुल योग	३,००,०००।-

मद संख्या - ३ सचिव, मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं प्रशासनिक अधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान सम्बन्धी उपाध्यक्ष की टिप्पणी पर विचार ।

--o--

प्रशासनिक एवं अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को वित्तीय अधिकारियों के प्रतिनिधान सम्बन्धी उपाध्यक्ष का संलग्न टिप्पणी प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

= =

सचिव, मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं प्रशासनिक अधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान सम्बन्धी उपाध्यक्ष की टिप्पणी ।

--o--

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को क्रमश: १० लाख रु० तथा ३० लाख रुपये तक के व्ययानुमान स्वीकृत करने एवं एक लाख रुपये तथा असीमित धनराशि के निविदा स्वीकार करने का अधिकार है । अत: सुझाव दिया जाता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए भी मुख्य अभियन्ता को १० लाख रुपये तक के व्ययानुमान एवं टेण्डर स्वीकृत करने तथा अधिशासी अभियन्ता को ५० हजार रु०के व्ययानुमान तथा टेण्डर स्वीकृत करने का अधिकार उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा ५१(२) के अन्तर्गत प्रतिनिहित किया जाय । इससे अधिक के व्ययानुमान एवं टेण्डर उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे ।

अभियंत्रण विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के व्यय अनुमान एवं टेण्डर स्वीकृत करने के समस्त अधिकार उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा ५१(२) के अन्तर्गत सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रतिनिहित किये जायं ।

119

मद संख्या - ४- विकास प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध करने का अधिकार धारा ५१(२) के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता एवं संयुक्त सचिव (उप नगर अधिकारी (विकास)) को प्रतिनिहित करने पर विचार।

--०--

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न कार्यों के लिए टेण्डर आदि मांगने के बाद विधिवत् जो भी अनुबन्ध (एग्रीमेण्ट) किये जायेंगे उनके लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना आवश्यक है। चूंकि समस्त अभियंत्रण विभाग मुख्य अभियन्ता के अधीन रहेंगे, अत: उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा ५१(२) के अन्तर्गत उन्हें विधिवत् टेण्डर संबंधी अनुबन्ध (एग्रीमेण्ट) करने का अधिकार प्राधिकरण कृपया प्रतिनिहित करने का कष्ट करें।

२-- लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न पक्षों से भूमि, भवन आदि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित विधिवत् जो भी अनुबन्ध किये जायेंगे उनके लिए विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक ४-२-७५ में अनुबन्ध करने का अधिकार उक्त अधिनियम की धारा ५१(२) के अन्तर्गत उप प्रशासक को दिया गया था। चूंकि अब उप प्रशासक उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम १९७२ के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी नियुक्त हो गये हैं अतएव यह अनुबन्ध अब उनके द्वारा किया जाना उचित न होगा। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न पक्षों से भूमि तथा भवन के हस्तान्तरण संबंधी विधिवत् अनुबन्ध करने का अधिकार प्राधिकरण कृपया धारा ५१(२) के अन्तर्गत संयुक्त सचिव (उप नगर अधिकारी (विकास)) को प्रतिनिहित करने का कष्ट करें।

118

मद संख्या -६ निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के कार्यालय स्थित वे रोड से सम्बन्धित भवन मानचित्र पर लैण्ड यूज से छूट दिये जाने विषयक उप समिति की रिपोर्ट दिनांक ६-३-७५ पर विचार ।

--o--

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ४-२-७५ के निर्देशानुसार उप समिति ने अपनी आख्या प्रस्तुत की है जो प्राधिकरण के विचारार्थ संलग्न है ।

--o--

= =

निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के कार्यालय स्थित वे रोड, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत भवन चित्र पर लैण्ड यूज से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में गठित उप समिति की आख्या ।

--o--

उपसमिति ने प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित अभिलेख देखे, विचार-विमर्श किया तथा स्थल का निरीक्षण किया । लखनऊ मास्टर प्लान में यह भूखण्ड रिहायसी दिखाया गया है । महायोजना में प्रस्तावित मानदण्ड एवं दर्शित भू-उपयोग उचित पाये गये । आस-पास आवासीय उपयोग का ही क्षेत्र अधिक है और यहां व्यवसायिक अथवा औद्योगिक भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति उचित नहीं होगी । अत: इस भूखण्ड का लैण्डयूज परिवर्तित न किया जाय ।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(महेश चन्द्र)	(के०पी०सिंह)	(एस०पी० गुप्ता)
सचिव	एसोसियेट टाउनप्लानर	मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकासप्राधिकरण	६-३-१९७५	लखनऊ विकासप्राधिकरण
६-३-१९७५		६-३-१९७५

--

117

पद संख्या - ७ क्वीन्टन रोड स्थित जे भारत सिनेमा के बारे में श्री रतन कुमार व अन्य को लैंड यूज से छूट दिये जाने व मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रार्थना पत्र पर ली गई कानूनी राय के साथ विचार ।

--o--

विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक ४-२-७५ में यह निर्णय लिया गया था कि जब भारत सिनेमा भवन की अपील के लम्बित होने के विषय में कानूनी राय के साथ उसे प्राधिकरण की अगली बैठक में रक्खा जाय । तद्नुसार इस संबंध में श्री जगत बहादुर श्रीवास्तव, डा०जा०सा० (क्रिमिनल) से कानूनी राय ली गई । उनकी राय दिनांक १८-३-७५ के अनुसार इस मामले की अपील पक्ष को राज्य सरकार से की जानी चाहिए क्यों अभी ट्रिब्युनल का गठन नहीं हुआ है । उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि(संशोधन) विधेयक, १९७५ के पारित होने के उपरान्त स्थिति बदल गई है क्योंकि अधिकरण के अधिकार अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को दिये जाना प्रस्तावित है ।

116

मद संख्या-८ नबीउल्लाह रोड स्थित नजूल भूमि की प्रस्तावित विकास एवं आवासीय योजना पर विचार ।

--0--

उपाध्यक्ष ने शहर के पश्चिमी क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा नबीउल्लाह रोड के पश्चिम में स्थित नजूल भूमि, जो कि इस समय खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही है, पर आवासीय योजना बनाने के निर्देश दिये। प्रस्तावित योजना की चौहद्दी निम्न प्रकार है :--

उत्तर : महात्मा गांधी मार्ग ।

पूर्व : नबीउल्ला रोड ।

दक्षिण: जुबली कालेज बोर्डिंग हाउस तथा खसरा नं० ५४ पी की बाउण्ड्री खलायक बाग, गोलागंज ।

पश्चिम: सीतापुर रेलवे लाईन ।

उपरोक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है । जिस क्षेत्र को योजना के अन्तर्गत विकसित करना प्रस्तावित है उसका १- अर्जन प्लान, २- टेन्टेटिव ले-आउट प्लान तथा ३- सम्पत्ति सूची आदि तैयार कर लिये गये हैं । इस योजना में लगभग ४३ बीघा भूमि सम्मिलित है जो नजूल की सम्पत्ति है । इस भूमि पर लगभग २८२ भूखण्ड (जो १२५० वर्ग फीट से लेकर ३२०० वर्ग फीट क्षेत्रफल के होंगे) बनाना प्रस्तावित है । योजना क्षेत्र में लगभग २० विस्थापित परिवार होंगे जिनको स्थल पर ही बसाया जायेगा । अर्जन एवं विकास कार्य पर लगभग रु०२६,६५,०००।- व्यय होने क की सम्भावना है । योजना में लगभग ५,४४,८६०।- वर्ग फीट भूमि पर भूखण्ड बनाये जायेंगे जिनको न्यूनतम रु०८।- प्रति वर्गफुट की दर से विक्रय किया जा सकता है । इससे रु०४३,५८,८८०-०० की आय सम्भावित है । इस प्रकार यह योजना लाभप्रद सिद्ध होगी ।

अत: इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अर्जन आदि की कार्यवाही करना होगा । अतएव विकास प्राधिकरण इस योजना पर विचार करके कृपया आगामी कार्यवाही हेतु आदेश दें । इकानामिक्स निम्न प्रकार है:-

ECONOMICS

Name of Scheme:- Nabiullah Road Development and Street Scheme.

			B. B. B. K.
1.	Gross area of the Scheme	=	43- 0 - 0- 0 11,70,675 sq.ft.
2.	Area under plots	=	5,44,761 sq.ft.
3.	Area under Roads & open spaces and Parks.	=	6,25,815 sq.ft.

....Contd./2.

115

4. Cost of development including surveying and supervision. = Rs. 16,87,000/-

5. Cost of acquisition @ Rs. 25,227/- per Bigha = Rs. 10,84,761/-

6. Cost of Dev. + Cost of Acquisition = Rs. 16,87,000 + 10,84,761/-
27,71,761/-

7. Rate of plotted area per sq.ft. = $\frac{27,71,761}{5,44,860}$ = 5.09

say Rs. 5.10 per sq.ft.

8. Rate of development per sq.ft. over developed plots = $\frac{16,87,000}{5,44,860}$ = 3.08

say Rs. 3.10 paisa

9. Expected Revenue by sale of plots = 5,44,860X 8 per sq.ft.

= 43,58,880.00

Hence scheme is profitable.

Note: 1. 25% of profit from this scheme will be used for slum clearance and E.W.S. scheme 2. and 50% of the profit will be used to build revolving fund for other schemes.

2. Remaining 25 % will be taken as the income of the Authority.

मद संख्या- ६ शाहमीना रोड पर स्थित नजूल भूखण्डों के विकास एवं तत्सम्बन्धी आवासीय योजना पर विचार ।

--0--

नगर के पश्चिमी क्षेत्र में सार्वजनिक स्वच्छता एवं सुविधा की दृष्टि से नगर महापालिका की विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या २ दिनांक ८-१०-७४ द्वारा शाहमीना रोड सड़क एवं गृह प्रधान योजना जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार से है, निर्मित करने का निर्णय लिया था :--

पूर्व : रेलवे लाईन ।

पश्चिम : नार्मल स्कूल

उत्तर : शाहमीना रोड

दक्षिण: जगत नारायण रोड ।

उपरोक्त क्षेत्र का १- अर्जन प्लान, २- एरिया प्लान, ३- टेन्टेटिव ले-आउट प्लान तथा ४- सम्पत्ति सूची तैयार करलिए गये हैं । योजना में लगभग बीघा ३३-१५-४-१८ क्षेत्रफल भूमि अर्जन हेतु सम्मिलित है । इस भूमि पर लगभग २०५ भूखण्ड (जिसका क्षेत्रफल लगभग १२५० वर्गफीट से लेकर ३२०० वर्ग फीट होगा) बनाना प्रस्तावित है । इस योजना में लगभग ६ विस्तापित परिवार प्रभावित होंगे जिन्हें स्थल पर ही बसाया जायेगा । अर्जन एवं विकास कार्य पर लगभग रु०२३,२६,६६२।- व्यय होने की सम्भावना है । इस योजा में लगभग ४,५६,२१४ वर्ग फीट भूमि पर भूखण्ड होंगे जिनको न्यूनतम रु०८।- प्रति वर्ग फीट की दर से विक्रय किया जा सकता है । इससे रु०३६,५०,०००।- की आय हो सकती है । इस प्रकार यह योजना लाभप्रद सिद्ध होगी ।

इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकरण प्रकाशन की कार्यवाही के आदेश प्रदान करने की कृपा करें । इकनामिक्स निम्न प्रकार है:-

ECONOMICS

1. Gross area of the scheme.	B B B K 33- 15- -4- -18 9,19,168 sq.ft.
2. Area under plot 50% approx of gross area	4,56,214 sq.ft.
3. Area under roads, Parks & Open spaces	4,62,954 sq.ft.
4. Cost of Development including surveying & Supervision @ Rs. 3/10 per sq.ft.	Rs. 14,14,264.00

....Contd./2.

113

5. Cost of acquisition @ Rs. 27,027/- per Bigha Rs. 9,12,428.00

6. Cost of Development + cost of acquisition. (Rs.14,14,264.00 + 9,12,428.00) Rs. 23,26,692.00

7. Rate of plotted area per sq.ft. = $\frac{23,26,692}{4,56,214}$ = Rs. 5.10 paisa

8. Rate of Development per sq.ft. over developed plots (as calculated in Nabiullaha Road Scheme) = $\frac{14,14,264}{4,56,214}$ = Rs. 3.10 paisa

9. Expected Revenue by sale of plots = 4,56,214 x 8 per sq.ft.

Rs. 36,49,712

say Rs. 36,50,000.00

Hence scheme is profitable.

Note-

1. 25% of profit from this scheme will be used for slum clearance and E.W.S. schemes 2- and 50% of the profit will be used to build revolving fund for other schemes.

2. Remaining 25% will be taken as the income of the Authority.

-

112

मद संख्या- १० नैपियर रोड भाग-३ स्थित विकास एवं आवासीय योजना पर विचार ।

--0--

नगर महापालिका की विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या २५ दिनांक १८-१-७३ द्वारा नैपियर रोड गृह आवास योजना भाग-३ निर्मित तथा प्रकाशित करने का निर्णय लिया था । इस योजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न प्रकार से है :--

उत्तर : पक्का नैपियर रोड ।

पूरब : पक्का चौपटियां रोड ।

दक्षिण : पक्का चौपटियां रोड तथा पक्का हाजी रहीम बख्श मार्ग ।

पश्चिम : पक्का हाजी रहीम बख्श मार्ग, पक्का व कच्चा देवादास मार्ग तथा कच्चा नाला ।

उपरोक्तानुसार क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है । १- एरिया प्लान, २- अर्जन प्लान, ३- टेन्टेटिव ले-आउट प्लान तथा संपत्ति सूची आदि बनाये जा चुके हैं । इस योजना में लगभग बीघा ११२-६-१-१६ क्षेत्रफल भूमि सम्मिलित है । इस भूमि पर लगभग ४०० भूखण्ड (६०० वर्ग फीट से लेकर ३६०० वर्ग फीट क्षेत्रफल तक होंगे) बनाना प्रस्तावित है । प्रश्नगत भूमि पर लगभग २०० विस्थापित परिवार होंगे जिनको बसाने हेतु इसी योजना क्षेत्र में २०० छोटे छोटे भूखण्ड " सब्सीडाइज्ड " प्रीमियम पर देना प्रस्तावित है । अर्जन एवं विकास कार्य परलगभग रू०७७,७७,५००।- व्यय होने की सम्भावना है । इस योजना में लगभग १४,३५,००० वर्ग फीट भूमि पर भूखण्ड बनाये जायेंगे जिनको न्यूनतम रू०६-२५ पै० प्रति वर्ग फुट की दर से विक्रय किया जा सकता है । इससे लगभग रू०८६,६८,७५०।- की आय हो सकती है । इस प्रकार यह योजना लाभप्रद सिद्ध होगी ।

उपरोक्त सभी कागजात तथा आंकड़े तैयार करके इस योजना को नगर महापालिका अधिनियम की धारा ३५७ के अन्तर्गत १- राजकीय प्रेस इलाहाबाद,२-पायनियर प्रेस लखनऊ ३- स्वतंत्र भारत लखनऊ तथा ४-सियासत प्रेस कानपुर को लगातार तीन सप्ताहिक अंकों में प्रकाशन हेतु दिनांक १२-४-७३ को भेज दिया गया था । उपरोक्त स्थानीय समाचार पत्रों में तो यह योजना प्रकाशित हुई परन्तु राजकीय गजट में इस योजना का प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया है जबकि सुपरिन्टेन्डेन्ट राजकीय गजट को उक्त नोटिस के प्रकाशन चार्जेज का अग्रिम धन रू०२६३।- पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा कई बार टेलीग्राम तथा स्मरण-पत्र भेजे जा चुके हैं ।

क्रमश:---

विकास प्राधिकरण कृपया इस योजना पर विचार करें तथा इसे कार्यान्वित करने तथा प्रकाशित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। इकनामिक्स निम्न प्रकार है :--

ECONOMICS

1. Gross Area of the Scheme	=	B. B. B. K. 112-6- 1 - 19
		30,57,500 sq.ft.
2. Area under plots	=	15,25,000 sq.ft.
3. Area under roads, parks and open space	=	15,32,500 sq.ft.
4. Cost of Development including surveying and supervision @ Rs. 3/10 per sq.ft.	=	47,27,500/-
5. Cost of Acquisition @ Rs. 27160/- per bigha	=	30,50,000/-
6. Cost of Development + Cost of Acquisition over the entire scheme.	=	47,27,500/- + 30,50,000/- Rs. 77,77,500/-
7. Rate of Development per sq.ft. as calculated in Nabiullah Road street scheme.	=	Rs. 3/10
8. Rate of plotted area per sq.ft.	=	$\frac{77,77,500}{15,25,000}$ = Rs. 5/10 per sq.ft.

9. Expected revenue = 15,25,000/-
deduct area reserved for dehousees. 90,000

14,35,000/- @ Rs. 6.25 = Rs. 89,68,750/-

Hence scheme is profitable.

Note:- 1. 25% of profit from this scheme will be used for slum clearance and E.W.S. scheme 2. and 50% of the profit will be used to build revolving fund for other schemes.

2. Remaining 25% will be taken as the income of the authority.

110

मद संख्या- ११ हाता कामता प्रसाद में प्रस्तावित मलिन बस्ती निपातन योजना पर विचार ।

--o--

नगर महापालिका की विकास समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या १ दिनांक ३०-५-७४ द्वारा मोहल्ला हुसैनगंज (आईना-वीवी बाग) में हाता कामता प्रसाद की एक गृह स्थान योजना बनाने का निर्णय लिया था जिसकी चौहद्दी निम्न लिखित है :--

उत्तर : खसरा संख्या ३८२, बंगला डा० त्रिवेनी बहादुर, खसरा सं०३८३ भवन श्री किशुन खसरा सं० ३८४ भवन श्री इकबाल बहादुर, खसरा सं० ३८५ भवन श्री श्रीराम खसरा सं० २६० रास्ता खसरा सं० ३६३ व ३६४ भवन श्री पी०एस० त्रिवेदी ।

दक्षिण : खसरा सं० ३५४ पक्का रोड ।

पूरब : खसरा सं० ३५४ पक्का रोड ।

पश्चिम : खसरा सं० ३५४ पक्का छितवापुर रोड ।

उपरोक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा जो क्षेत्र विकसित करना प्रस्तावित है उसका १- एरिया प्लान, २- अर्जन प्लान, ३- टेन्टेटिव ले-आउटप्लान एवं ४- सम्पत्ति सूची आदि तैयार कर लिये गये हैं । इस योजना में लगभग बीघा ५-५-२-११ क्षेत्रफल भूमि सम्मिलित है । इस भूमि पर लगभग ३५ भूखण्ड बनाना प्रस्तावित है । योजना क्षेत्र में लगभग ५० विस्थापित परिवार होंगे जिनको स्थल पर ही बसाया जायेगा। अर्जन एवं विकास कार्य पर लगभग रु०५,११,२०८।- व्यय होने की सम्भावना है । योजना में लगभग ७४,०५२ वर्ग फीट भूमि पर भूखण्ड बनाये जायेंगे जिनको न्यूनतम रु० १५-०० प्रति वर्ग फुट की दर से विक्रय किया जा सकता है । इससे लगभग रु०११,१०,७८०।- आय हो सकती है । इस प्रकार यह योजना लाभप्रद सिद्ध होगी ।

विकास प्राधिकरण कृपया इस योजना पर विचार करें तथा योजना को कार्यान्वित करने तथा प्रकाशित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें । इकानामिक्स निम्न प्रकार है :--

ECONOMICS

1. Gross area	=	B. B. B. K. 5. 5. 2. 11 1,43,104 sq.ft.
2. Area under Roads and open Space	=	69,052 sq.ft.
3. Area under plot	=	74,052 sq.ft.

.....Contd./2.

109

4. Total Cost under Acquisition @ Rs. 2/- sq.ft. Rs. 2,86,208-00

5. Total Cost under Development Rs. 2,25,000-00

Rs. 5,11,208-00

6. Cost of Development per sq.ft. of the plotted area. = $\frac{2,25,000}{74,052}$ Rs. 3.04 per sq.ft.

Say Rs. 3/-

7. Rate per sq.ft. of the plotted area. = $\frac{51,1208}{74,052}$ Rs. 6.25 per sq.ft.

Say Rs. 7/-

8. Expected revenue after the sale of plots.=74,052X15 =Rs. 11,10,780/-
Hence scheme is profitable.

Notes:- 1. 25% of profit from this scheme will be used for slum clearance and E.W.S. Scheme 2=and 50% of the profit will be used to builda revolving fund for other schemes.

2. Remaining 25% will be taken as the income of the authority.

मद संख्या- १२ सीतापुर रोड पर शाहा पुल से मिले हुए बांध के निकट सब्जी मण्डी योजना पर विचार ।

--o--

नगर महापालिका की विकास समिति द्वारा गठित उपसमिति ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करके अपनी आख्या दिनांक २-६-७३ में यह अनुशंसा की थी कि मोहन-मीकिन फैक्ट्री के दक्षिण की ओर से निकलने वाली सड़क से लेकर गोमती नदी के प्रस्तावित बांध तक पड़े खुले मैदान में सब्जी मण्डी स्थापित करने के लिये एक योजना बनाई जाये । इस अनुशंसा को विकास समिति ने भी अनुमोदित किया परन्तु इसी बीच महापालिका के भंग हो जाने के कारण इस प्रस्तावना पर आगामी कार्यवाही न हो सकी । उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र की चौहद्दी निम्न प्रकार है :--

पूरब : सीतापुर रेलवे लाइन ब्रिज ।

पश्चिम : सीतापुर मार्ग ब्रिज ।

उत्तर : मोहन मेकिन ।

दक्षिण : गोमती नदी ।

क्षेत्र का सर्वेक्षण प्लान तैयार कर लिया गया है तथा जो क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अर्जित तथा विकसित करना प्रस्तावित है उसको अर्जन प्लान तथा सम्पत्ति सूची आदि तैयार कर लिया गया है । इस योजना में लगभग बीघा २४-५-४-६ भूमि सम्मिलित है जिसमें से लगभग बीघा १९-८-४-६ भूमि नजूल सम्पत्ति है तथा शेष ४ बीघा १७ बिस्वा भूमि अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति है । उपाध्यक्ष इस क्षेत्र का निरीक्षण कर चुके हैं तथा उन्होंने भी इस स्थल को सब्जी मण्डी हेतु उपयुक्त बताया है ।

इस समय शहर में जो दो सब्जी मण्डियां हैं उनमें जगह बहुत कम है तथा शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन दोनों मण्डियों को बीच शहर से हटाकर खुले स्थान पर स्थापित किया जावे ।

इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु विकास प्राधिकरण कृपया आवश्यक आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।

मद संख्या- १३ ग्राम रहीमाबाद में चौधरी स्क्वायर स्थित भूखण्ड पर भवन बनाने हेतु निर्धारित सेट बैक में छूट विषयक श्री के०के० सिंहल के प्रार्थना-पत्र पर विचार ।

--०--

ग्राम रहीमाबाद में चौधरी स्क्वायर स्थित भवन बनाने हेतु श्री के०के० सिंहल के एक मानचित्र दिनांक ६-९-७४ को नियत अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया था । इस मानचित्र के परीक्षण के उपरान्त उसमें निम्नलिखित त्रुटियां पाई गयी :--

१- सेट-बैक आर०बी०ओ० ऐक्ट के अनुसार नहीं छोड़ा गया था ।

२- भूखण्ड का क्षेत्रफल २४३० वर्गफीट है जबकि मानचित्र में २८०५ वर्ग फुट दिखाया गया था ।

पक्ष ने अपने भूखण्ड के सामने १५ फिट, पीछे २० फिट तथा बगल में ७½ सेट बैक छोड़ने के बजाय यह प्रार्थना की है कि सामने १० फिट, पीछे की ओर १२ फिट तथा बगल में ७ फिट सेट-बैक देते हुए उनका नक्शा पास कर दिया जाय । प्रार्थी ने सेटबैक में छूट दिये जाने की मांग इसलिये की है कि बगल में जो मकान बने हैं उनमें भी यही सेट बैक दिया गया है । विकास प्राधिकरण द्वारा वांछित सेट-बैक से छूट दिये जाने की दशा में प्रार्थी को स्वीकृत सेटबैक के अनुसार नक्शा प्रस्तुत करना होगा ।

मद संख्या- १४ विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक में स्वीकृत मानचित्र तैयार करने हेतु पंजीकृत लाइसेंस तथा फीस के सम्बन्ध में उपविधि संख्या २८ पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या २३३७।२२ टीपी।लखनऊ विकास प्राधिकरण।टीपीसी।७४ दिनांक ४-३-७५ पर उपाध्यक्ष की टिप्पणी सहित आवश्यक सूचना ।

---o---

प्रस्तावित उपविधि सं० २८ पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के सुझावों पर उपाध्यक्ष की संलग्न टिप्पणी विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

105

मानचित्र तैयार करने के लिए पंजीकृत लाइसेंस व फीस से सम्बन्धित उपविधि सं० २८ पर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण लखनऊ की टिप्पणी :

--o--

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक ४-२-७५ की बैठक में मानचित्र तैयार करने के लिए पंजीकृत लाइसेंस व फीस से संबंधित उपविधि सं० २८ स्वीकृत की गई थी । इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने पत्र सं० २३३७।२२-टीपी।लखनऊ विकास प्राधिकरण मीटिंग। टीपीसी।७४ दिनांक ४-३-७५ द्वारा यह लिखा है कि कार्यवाही के मद सं० ६ में (पृष्ठ ४ का अंतिम पैरा) अभियन्ता की दक्षता में, शब्द भवन मानचित्रों तथा साइट तलपट मानचित्र, उपनिवेशों के तलपट मानचित्र " सड़कों की व्यवस्था के मानचित्र, वह समस्त नाम के भूखण्डों पर निर्माण कार्य का परीक्षण भी कर सकेगा " को बढ़ाये जाने के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया था और न इन पर कोई क विचार विमर्श ही हुआ था ।

इसी पकार अनर्हित ड्राफ्टमैन (पृष्ठ ५ पर मद सं० २८(२) (फ) में उल्लिखित) दक्षता में केवल ५० वर्गमीटर तक के गृहतल क्षेत्रफल वाले भवनों के मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए निर्णय लिया गया था । अत: कार्यवाही में ६० वर्ग मीटर की जगह ५० वर्गमीटर लिखा जाना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह है कि प्रथम बैठक में जब इस विषय पर विचार किया जा रहा था तब मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने यह आपत्ति की थी कि जब अभियन्ता अन्य स्थानों पर भवनों के मानचित्र, सड़कों की व्यवस्था के मानचित्र तथा ले-आउट के मानचित्र बनायेंगे तो इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए । बाद में यह तय हुआ था कि जब अगली बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक भी उपस्थित हों तो इस मामले पर विचार किया जाय । ४ फरवरी, १९७५ को जब यह मामला आया था उस समय अधीक्षण अभियन्ता, स्वा० शासन अ अभि० विभाग ने भी इस बात पर आपत्ति प्रकट की थी कि अभियन्ता भवनों के मानचित्र आदि जब बनायेंगे तो आर्किटैक्ट्स के साथ भेदभाव की नीति क्यों अपनाई जाय । इस पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा था कि वे भी आर्किटैक्ट्स की भांति कार्य करेंगे । जहां तक अनर्हित ड्राफ्ट्समैन की दक्षता में ५० वर्गमीटर तक गृहतल क्षेत्रफल वाले भवनों के मानचित्र का प्रश्न है, इसे ठीक कर लिया जाय । उपरोक्तानुसार शासन को सूचित किया जा चुका है ।